उत्तराखण्ड
कृषि भूमि एवं भू राजस्व अधिनियम
विधेयक - 2015 का प्रारूप

ः लेखक:
रमेशदत्त उनियाल
एडवोकेट
(कानूनी सलाहकार, गरीब क्रान्ति अभियान उत्तराखण्ड)

उत्तराखंड

(कृषि भूमि एवं भू-राजस्व अधिनियम विधेयक - 2015
का प्रारूप

समर्पित
उत्तराखंड के उन शहीदों और
आंदोलनकारियों को जिनके त्याग
और बलिदान ने उत्तराखंड को
मूर्त रूप दिया

.

कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगडो स्त्व कर्मणि ।
(श्रीमद्भगवतगीता)

लेखक: रमेशदत्त उनियाल

एडवोकेट
(कानूनी सलाहकार, गरीब क्रान्ति अभियान उत्तराखण्ड)

विषय सूची

अध्याय-1

धारा विषय पृष्ठ संख्या

1. शीर्ष नाम प्रसार एवं प्रारंभ
2. अधिनियम का प्रारम्भ होना
3. अधिनियम का नए क्षेत्रों में विस्तार
4. परिभाषायें

अध्याय-2

नियुक्ति व क्षेत्राधिकार

5. राज्य सरकार एवं परिषद की यथाक्रम नियंत्रणकारी शक्तियाँ
6. परिषद के सदस्यों की नियुक्ति
7. खंडपीठ द्वारा विचारण
8. राजस्व क्षेत्रों का गठन
9. राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता
10. रिक्ति के संबंध में

अध्याय-3

राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षण व अधिकार अभिलेख

11. राजस्व अभिलेख संबधी अधिकार
12. लेखपाल व कानूनगो लोक सेवक
13. राजस्व निरीक्षक
14. पदो का क्रम
15. असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी ;न्यायिकद्ध
16. धन, अभिलेख, स्टेशनरी, व अन्य सम्पत्ति की वसूली

अध्याय-4

ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण व संरक्षण

17. ग्रामों की सूची
18. मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण
19. अधिकार अभिलेख
20. उत्तराधिकार संबधी अंतरण
21. अन्तरण संबंधी सूची

22. जिला निबन्धक द्वारा अंतरण सूचना
23. अंतरण संबंधी सूचना हेतू अवधी
24. अंतरण संबंधी सूचना निस्तारण
25. अधिकार अभिलेख में त्रुटि

अध्याय-5

ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण व सर्वेक्षण

26. अभिलेख के पुनरीक्षण और सर्वेक्षण प्रक्रिया की अधिसूचना
27. अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी
28. अभिलेख सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्तियां
29. अभिलेख प्रक्रिया के दौरान अभिलेख का परीक्षण
30. सर्वेक्षण प्रक्रिया अभिलेख का पुनरीक्षण
31. मानचित्र और अभिलेख पुनरीक्षण प्रक्रिया
32. अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप देना
33. नया अधिकार अभिलेख तैयार
34. प्रविष्टियों के संबंध में धारणा

अध्याय-6

सीमा और सीमा चिन्ह

35. सीमा का निर्धारण और सीमांकन
36. सीमा चिन्हों का अनुरक्षण और मरम्मत का दायित्व
37. सीमा चिन्हों को क्षति पहुँचाना
38. सीमा चिन्ह का पुनः निर्माण तथा क्षतिपूर्ति
39. सीमा संबंधी विवाद
40. मार्ग व अन्य सुखाधिकार
41. अवरोध का निवारण
42. उपजिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति
43. रूढ़ीगत सुखाधिकार का अधिकार
44. अभिलेखों का संशोधन व परिवर्धन

अध्याय-7

भूमि और अन्य संपतियों का स्वामित्व

45. निजी आवासीय भाग, पेड़ो, इमारतों के संबंध मे

46. भू-धारकों के खातो से इतर अन्य सम्पूर्ण भूमि आदि में राज्य का स्वामित्व

47. फलदार वृक्ष
48. खान और खनिज
49. कलेक्टर द्वारा विनिश्चय किये जाने वाले विषय

अध्याय-8

ग्रामसभा व अन्य स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधन

50. ग्राम सभा व अन्य निकायों के भूमि का सौंपा जाना
51. भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्रबंध, व्यवस्था तथा नियंत्रण
2. ग्राम तालाबों की व्यवस्था तथा प्रबंधन
53. वादो और वैधानिक कार्यवाही का संचालन
54. आबादी स्थलों हेतू आवंटित किये जाने वाली भूमि
55. ग्रामसभा की संपत्ति का दुरूपयोग, क्षति अथवा अवैध अधिभोग
56. ग्रामसभा के व्यक्तियों, ग्रामसभा की संपत्ति की सुरक्षा हेतु कर्ïात्व
57. ग्रामनिधी
58. संचित ग्रामनिधी
59. राज्य सरकार और कलक्टर के आदेश व निर्देश
60. वैकल्पिक व्यवस्था
61. शासकीय अधिवक्ता
62. ग्रामसभा का प्रतिनिधित्व

अध्याय-9

भौमिक अधिकार

63. खातेदारों का वर्गीकरण
64. संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर
65. विशेष श्रेणी के भूमिधर
66. असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर
67. आसामी
68. भूमि जिस पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है

अध्याय-10

भूमि उपयोग तथा उन्नति

69. भूमिधरों व आसामी का अपने खाते की सम्पूर्ण भूमि पर एकान्तिक

कब्जे का अधिकार
70. अकृष्यप्रयोजन हेतू भूमि का उपयोग
71. घोषणा का रद्द किया जाना
72. विनिमय
73. विनियमितिकरण
74. परित्याग

अध्याय - 11
अंतरण तथा संक्रमण

75. भूमिधर द्वारा संक्रमण पर प्रतिबंध
76. विदेशी नागरिक भूमि अर्जित नही कर सकता
77. उŸाराखंड के स्थाई अथवा मूल निवासियों से भिन्न व्यक्ति द्वारा संक्रमण

78. भूमिधर द्वारा टुकड़ो में अंतरण
79. सहखातेदारी की भूमि का किसी खातेदार द्वारा अंतरण
80. मुख्तारनामें द्वारा अंतरण
81. बंधक द्वारा अंतरण
82. पट्टे द्वारा अंतरण
83. अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अंतरण
84. अुनसूचित जनजाती के व्यक्ति द्वारा अंतरण
84 (क) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाती के व्यक्ति द्वारा पट्टे द्वारा भूमि का अंतरण
85. अननूकूल अंतरण तथा संक्रमण के परिणाम

अध्याय -12
उŸाराधिकार

86. इच्छापत्र (वसीयत)
87. उत्तराधिकार का सामान्य क्रम
88. उत्तरजीविता द्वारा स्वत्व का संक्रमण
89. भारतीय मूल व भारतीय नागरिकता से भिन्न व्यक्ति तथा हत्यारा व्यक्ति विरासत प्राप्त नही कर सकेंगे
90. ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु
अध्याय - 13

विभाजन

91. भूमिधारी खाते का विभाजन योग्य होना
92. एक से अधिक खातों का विभाजन
93. अंशधारक के एकल अंश का विभाजन
94. सहखातेदार को पूर्वक्रयाधिकार का अधिकार

अध्याय - 14
ग्रामसभा की भूमि

95. ग्राम सभा की भूमि का आवंटन
96. उपजिलाधिकारी द्वारा आवंटन का अनुमोदन
97. आवंटी को कब्जा दिलाया जाना
98. आंवटन से क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन
99. जिला कलेक्टर द्वारा स्वप्ररेणा से कार्यवाही
100. शास्ती

अध्याय - 15
सरकार की संपति

101. सरकारी भूमि का पट्टेदार
102. सरकारी भूमि के पट्टेदार को भूमि के अधिकार
103. सरकारी भूमि के पट्टेदार की बेदखली
104. सरकारी पट्टे की भूमि से निष्कासन
105. धारा 103 के अनुपालन में धारा 109 के प्राविधान सरकारी भूमि के पट्टेदार पर लागू होना
106. सरकारी भूमि के पट्टेदार से वसूली

अध्याय - 16
बेदखली

107. भू-धारक की समान्यतः बेदखली नही हो सकती
108. आसामी की बेदखली
109. बेदखली के समय आसामी के अधिकार
110. अनाधिकृत अध्यासी की बेदखली
111. धारा 110 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत न करने के परिणाम
112. अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि से अनाधिकृत

अध्यासी की बेदखली
113. अवैध बेदखली का निदान
अध्याय - 17
घोषणात्मक वाद तथा अंतरिम व्यादेष

114. खातेदार होने के संबंध में घोषणा
115. कतिपय अवस्थाओं में दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार
116. अंतरिम व्यादेश

अध्याय - 18
ग्रामीण आबादी (आवासीय क्षेत्र)

117. प्रसार
118. परिभाषा
119. भवनों के संबंध में धारणा
120. भवनस्वामी का भवन प्रयोग
121. ग्रामीण आबादी स्थित भवनों के स्वामित्व का प्रभाव

अध्याय - 19
भू-राजस्व, आरोपण तथा वसूली

122. भू-धारक द्वारा घृत भूमि राजस्वदेय होगी
123. पुनर्निधारण तक पूर्ववर्ती दर से भू-राजस्व देय
124. भू- राजस्व पुननिर्धारण की राज्य की शक्ति
125. भू- राजस्व परिवर्तन अथवा परिवर्धन
126. भू- राजस्व की छूट
127. भू-राजस्व माफी या स्थगन
128. भू-राजस्व स्थगन के परिणाम
129. भू-राजस्व की धनराशी के पूर्णीकृत के संबंध मे
130. आदेशो का अंतिम होना
131. भू- राजस्व प्रथम प्रभार माना जायगा
132. भू-राजस्व की वसूली का प्रबंध
133. तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हिसाब में लेखे की कुछ बातों का निश्चयात्मक प्रमाण होना
134. भू-राजस्व बकाया वसूली की रीती

135. मांगपत्र और उपस्थिति पत्र
136. गिरफ्तारी और निरोधन
137. चलसंपति की कुर्की व निलाम
138. खाते की कुर्की पट्टा और विक्रय
139. कुर्क भूमि पर बिना आगम व स्वत्व के अध्यासियों की बेदखली
140. अन्य अचल संपति में बाकीदार के स्वत्व के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार
141. रिसीवर की नियुक्ति
142. धारा 132 के अंतर्गत नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान न किये बकाया की वसूली
143. आपत्ति के अंतर्गत भुगतान तथा वसूली हेतू वाद
144. इस अधिनियम के आदेशों का उसके प्रारंभ होने के समय देय बकाया पर लागू होना
145. कुर्क भूमि के लगान आदि अन्य देयों की अदायगी
146. नियम बनाने का अधिकार

अध्याय - 20

राजस्व न्यायालयों का क्षेत्राधिकर और प्रक्रिया

147. राजस्व न्यायालयों तथा दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार
148. अपील
149. जिन अवस्थाओं में पारित निर्णयों व आदेशों के विरूद्ध अपील अनुज्ञात नही होगी
150. पुनरीक्षण
151. मध्यस्थता हेतू भेजा जाना
152. वाद को अंतरित करने के अधिकार
153. परिसीमा अधिनियम 1963 तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता का लागू होना
154. प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अमान्य नही होंगे
155. राजस्व न्यायालयों को किसी भी विनियमन की विधि मान्यता न्याय निर्णित करने की शक्ति नही होगी
156. सद् भावना पूर्वक राजस्व अधिकारी के कार्य के विरूद्ध किसी कार्यवाही का सक्षम न होना

अध्याय - 21

शास्तियाँ

157. अतिक्रमण के लिये शास्ती
158. अवैध रूप से वृक्षों के पातन मे
159. अपेक्षित विवरण अथवा सूचना न देने पर शास्ती
160. जुर्माना आदि की वसूली

अध्याय - 22
प्रकीर्ण

161. विवरण मगाने की शक्ति
162. भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति
163. निरीक्षण करने की शक्ति
164. अधिनियम के उपबन्धों से छूट की शक्ति
165. प्रत्योजन
166. कुछ धाराओं का स्थानीय निकाय आदि पर लागू न होना

अध्याय - 23
निरसन व अपवाद

167. निरसन
168. विचाराधीन कार्यवाहियों पर अधिनियम का लागू न होना
169. बाधायें दूर करने की शक्ति
170. नियम बनाने की शक्ति
171. विनियमावली बनाने की शक्ति

प्रथम अनुसूची
द्वितीय अनुसूची

उत्तराखण्ड कृषि भूमि एवं भू-राजस्व अधिनियम विधेयक

2015 का प्रारूप

अध्याय 1

1. शीर्ष नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ:

(1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड कृषि भूमि एवं भू-राजस्व अधिनियम 2007 कहलाया जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दी गयी नियत तिथि को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में इसमें दिये गये उपबन्धों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में दिये गये अनुसार प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम का प्रारम्भ होना: इस अधिनियम के उपबन्ध इसमें दिये गये अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ववर्ती लागू अधिनियमों के निरसन की तिथि से प्रारम्भ समझे जायेंगे।

3. अधिनियम का नये क्षेत्रों में विस्तार:- इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात वर्तमान उत्तराखण्ड में सम्मलित क्षेत्र के अलावा जो भी क्षेत्र तत्पश्चात उत्तराखण्ड

राज्य में सम्मलित किये जायेंगे उन पर भी तत्समय से ही यह अधिनियम लागू समझा जायेगा।

4. परिभाषायें:- विषय या संदर्भ में जब तक केाई

बात प्रतिकूल न हो इस अधिनियम मेंः-

(1) आवासीयः-आवासीय या ग्रामीण आवासीय क्षेत्र का तात्पर्य जिसका उपयोग इस अधिनियम के लागू होने के समय।

(अ) कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योग नही हो

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्रयोग हेतु उपयोग में लायी जा रही है।

(स) अथवा ग्रामीण क्षेत्र का वह भाग जो आवासीय प्रयोग हेतु आरक्षित किया गया हो।

(2) कृषिः- काश्त हेतु उपयोग मे लायी जा रही भूमि के अलावा कृषि पर आधारित उद्योग जैसे कुकुटपालन, पशुपालन, मधुमक्खीपालन, बागवानी व फूलों की खेती तथा मत्स्य पालन इसके अन्तर्गत आते है।

(3) कृषि श्रमिक/कृषक अथवा काश्तकारः- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले वह व्यक्ति जिसकी आजीवका का प्रमुख साधन कृषि अथवा कृषि पर आधारित उद्योगों पर निर्भर है।

(4)बैंक:-बैंक का तात्पर्य

(क) बैकिग रेगुलेशन एक्ट 1949 के आधीन रत
बैकिग कम्पनी ।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955 के अन्तर्गत
निर्मित भारतीय स्टेट बंैक की शाखायें।

(ग) भारतीय स्टेट बैक एक्ट 1959 मे निर्मित
सब्सिडियरी बैक।

(घ) बैंकिग कम्पनी (एक्यूजिशन एण्ड ट्रांसफर अंडर टैंिकग) एक्ट 1970 के अनुरूप निर्मित बैंक।

(ड़) रिजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अधीन
स्थापित स्थानीय ग्रामीण बैक।

(च) बैकिग रेगुलेशन एक्ट 1919 की धारा 51 के
अन्तर्गत केन्द्रीय शासन द्वारा घोषित बैंकिग
संस्थान।

(5) भूमि प्रबन्धक समितिः- ग्राम सभा के चयनित सदस्यों द्वारा ग्राम सभा के कार्यो के संपादन, प्रबन्धन आदि हेतु गठित समिति।

(6) परिषदः- परिषद का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार राजस्व संबंधी कार्यो की सुनवाई हेतु गठित राजस्व परिषद से है।

(7) पूर्त संस्थाः-धार्मिक अथवा सामाजिक कल्याणकारी कार्यो हेतु गठित कल्याणकारी संगठन व संस्था।

(8) कलक्टरः- राजस्व संबधी कार्यो के निस्तारण हेतु नियुक्त जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 8(1) (ख) के अनुसार नियुक्त किया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न अधिकारीगण आते हैः-

(क) अपर कलेक्टर धारा 8 की उपधारा (1)(ख)(अ) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी।

(ख)सहायक कलक्टर:-कलक्टर के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा शक्ति प्राप्त कलेक्टर
के कृत्यों के संपादन हेतु नियुक्त प्रथम श्रेणी का सहायक कलक्टर ।

(9) संचित ग्राम निधिः-धारा 58 की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम निधि।

(10) परिवारः- परिवार का तात्पर्य पति-पत्नी, तथा उनके अव्यस्क पुत्रों तथा अविवाहित अव्यस्क पुत्री से है, परन्तुक अव्यस्क की अवस्था में अव्यस्क सहित उसके माता-पिता से है।

(11)बाग भूमिः-फलदार वृक्षों (पपीता व केले के अतिरिक्त) से अच्छादित भूमि का वह भाग जिसे अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाना संभव न हो।

(12)जोत:- संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर, अंसक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर, तथा आसामी के अधीन कृषि उपयेाग हेतु प्रयुक्त किये जाने वाला भू-भाग।

(13)जोतसुधार:-आवासीय क्षेत्र को छोड़कर कृषि की उन्नति, आबपासी निस्तारण, कटाव रोकने
तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने आदि के कार्य।

(14)भूमि:- कृषि संबंधी कार्य सम्पन्न करने हेतु उपयोग में लायी जाने वाली भूमि जो कि आवासीय कार्य हेतु उपयोग मे न लायी जा रही हो।

(15)भू-धारकः-इसका तात्पर्य उस कृषक से है जिसके द्वारा कृषि भूमि का लगान देय हो।

(16)राजस्व न्यायालयः-इसका तात्पर्य राजस्व परिषद के सदस्य, मुख्य राजस्व आयुक्त, अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, आयुक्त, कलक्टर, अपर कलक्टर, सहायक कलक्टर, बदोबस्त अधिकारी, सहायक बदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार तथा अपर तहसीलदार व नायब तहसीलदार के न्यायालयों से ।

(17)राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मी:-इसका तात्पर्य आयुक्त, अपर आयुक्त, कलक्टर, अपर कलक्टर, उपजिलाधिकारी, सहायक कलक्टर, बदोबस्त अधिकारी, सहायक बदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार तथा अपर तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त लेखपाल व कानूनगो तथा राजस्व न्यायालयें व कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारीगण से है।

(18)उपजिलाधिकारीः-इसका तात्पर्य प्रत्येक तहसील के प्रभारी सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी से है।

(19)ग्राम:- इसका तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समान्य अथवा विशेष अधिसूचना द्वारा राजस्व ग्राम के रूप में घोषित ग्रामीण आवासीय व कृषि युक्त सघन व विरल आबादी वाले क्षेत्र से है।

(20)ग्रामीण शिल्पी अथवा शिल्पकार:-इसका तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले उस व्यक्ति से है

जिसका प्रमुख उद्यम कृषि व कृषि से संबंधित औजारों तथा कृषकों के उपयोगी सामान का निर्माण व मरम्मत करना, तथा उससे प्राप्त आय से अपने परिवार का पालन-पोषण है। जिसमें लौहार, बढई, कुम्हार, बुनकर, नाई, धोबी, मोची आदि शामिल है।

(21)स्थाई अथवा मूल निवासीः-उत्तराखण्ड का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज प्रारम्भ से ही उत्तराखण्ड में निवास करते रहे है, उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं, तथा जिन व्यक्तियों के पास उत्तराखण्ड निर्माण से पूर्व उत्तराखण्ड में कृषि अथवा आवासीय संम्पत्ति के रूप मे अचल संम्पत्ति हो स्थाई निवासी कहलायेगा।

(22)स्थानीय निकाय:- स्थानीय निकाय का तात्पर्य नगर निगम, छावनी परिषद, नगर पालिका तथा नगर पंचायत से है।

अध्याय -2

नियुक्ति व क्षेत्राधिकार

5. राज्य सरकार एवं परिषद की यथाक्रम नियंत्रणकारी शक्तियांः- राज्य सरकार के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के अधीन रहते हुए
राजस्व परिषद का गठन किया जायेगा। जो कि राजस्व वादो में, अपीलों एवं पुननिरीक्षण के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत शक्तियों के अधीन कार्य करेगा।

6. परिषद के सदस्यों की नियुक्तिः- राज्य सरकार द्वारा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी जिसमें परिषद के सदस्यों का पद राजस्व आयुक्त के रूप में होगा, इसमें अध्यक्ष मुख्य राजस्व आयुक्त होगा। जिसका चयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, तथा सुविधानुसार मण्डल स्तर पर सदस्य के रूप में कम से कम एक-एक अपर मुख्य राजस्व आयुक्त होंगे। इनके क्षेत्राधिकार का चयन मुख्य राजस्व आयुक्त की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सदस्य केवल राजस्व के न्यायिक संबंधी विवादों के निस्तारण हेतु ही सक्षम होंगे।

7.खण्डपीठ द्वारा विचारणः- जहां किसी न्यायिक बिन्दु पर यह आवश्यक समझा जाय कि उक्त बिन्दु का विचारण खंडपीठ द्वारा किया जाये तो मुख्य राजस्व

आयुक्त (अध्यक्ष) की अध्यक्षता में कम से कम अध्यक्ष सहित दो सदस्यों की खं्ाण्डपीठ का सृजन करके उक्त न्यायिक बिन्दु का निस्तारण बहुमत से किया जा सके, इसमे पूर्व मत प्रदाता सदस्य को सदस्य नही बनाया जायेगा। परन्तु बराबर मत में उसके द्वारा दिया गया मत भी स्वीकार किया जायेगा तदनुसार बहुमत माना जायेगा।

8. राजस्व क्षेत्रों का गठन:

(1) प्रत्येक राजस्व क्षेत्रों का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:

(क) मंडल: राज्य का राजस्व क्षेत्र मंडलों में विभक्त होगा, प्रत्येक मण्डल का निर्माण दो या दो से अधिक जिलों से किया जायेगा, तथा इसका उच्च अधिकारी मंडल आयुक्त (कमीशनर) होगा।

(ख) जिला: प्रत्येक जिले में दो या दो से अधिक तहसील होंगी, इसका उच्च अधिकारी राजस्व संबंधी कार्यों के संपादन हेतु जिला कलक्टर होगा तथा जिला कलक्टर को इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कार्य संपादन हेतु पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी, एवं जिला कलक्टर को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग का जिला कलक्टर की सुविधा हेतु निम्न अधिकारी भी नियुक्त किये जायेंगे तथा उन्हें भी जिला कलक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपी गई शक्तियों (अधिकार व कत्र्तव्यों) के प्रयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

(अ) अपर कलक्टर

(ब) सहायक कलक्टर

यह अधिकारी प्रत्येक जिले में सुविधानुसार एक से अधिक नियुक्त किये जा सकेंगें।

(ग) तहसील: एक या एक से अधिक परगने अथवा कुछ राजस्व ग्रामों के समूह से तहसील का निर्माण किया जायेगा, जिसका उच्च
अधिकारी प्रथम श्रेणी का सहायक कलक्टर जिसे जिला कलक्टर की कुछ विशेष शक्तियों के प्रयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जायेगा जो उपजिलाधिकारी भी कहलायेगा तथा उसके सहयोग हेतु निम्न अधिकारियों को भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(अ) तहसीलदार

(ब) अपर तथा नायब तहसीलदार

(2) इसमें स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक तहसील में नियुक्त प्रथम श्रेणी के सहायक कलक्टर न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों के संबंध में उपजिलाधिकारी कहलायेगा, तथा संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायिक व प्रशासनिक अधिकार व कत्र्तव्य जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किये गये है उन्हे सम्पन्न कराने का सम्पूर्ण दायित्व वहन करेगा। तहसीलदार व अपर व नायब तहसीलदार

उपजिलाधिकारी के अंतर्गत तथा दिशा निर्देशानुसार अपने अधिकारों व कत्र्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

9. राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता:

धारा 8 (1) में वर्णित (क) (ख) (ग) में दिये अनुसार राजस्व अधिकारीगण क्रमानुसार एक दूसरे के अधीनस्थ समझे जायेंगें।

10. रिक्ति के संबंध में:

जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अस्थाई रूप से जिला कलक्टर के तुरंत पश्चात का वरिष्ठतम प्रशासनिक व राजस्व अधिकारी तद्समय तक जिला कलक्टर की शक्तियों को प्रयोग करने में सक्षम होगा।

अध्याय -3

राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षण व अधिकार अभिलेख

11. राजस्व अभिलेख संबंधी अधिकारः- प्रत्येक जिले के सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख जिला कलक्टर के अनुरक्षण के अंतर्गत रहेंगें, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु जिला कलक्टर की सहायता हेतु निम्न पद सृजित किये जायेंगें।

(क) लेखपाल: एक अथवा एक से अधिक ग्रामों के अंतिम सृजित राजस्व अधिकार, अभिलेख (मानचित्र व खसरा खतौनी,) लेखपाल द्वारा उनमें होने वाले समय-समय पर परिवर्तनों को अंकित किया जायेगा

तथा इस संबंध में अपनी आख्या उक्त परिवर्तनों के सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों को देता रहेगा तथा जिला कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट अभिलेखों को भी तैयार करेगा।

(ख) कानूनगो: लेखपालों के द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण उनमें किये जाने वाले स्वामित्व सम्बन्धी परिवर्तन व परिवर्धन व सुधार आदि कत्र्तव्यों के निर्वहन हेतु दो या दो से अधिक लेखपालों के उपर

प्रत्येक तहसील में एक या उससे अधिक कानूनगो की नियुक्ति की जायेगी।

12. लेखपाल व कानूनगो लोक सेवक: इसमें स्पष्ट किया जाता है कि लेखपाल व कानूनगो भारतीय दंड संहिता के अनुसार लोक सेवक समझे जायेंगे, जिन्हें स्थाई रूप से त्वरित राजस्व अभिलेखों संबंधी कार्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है, उनके किसी भी राजस्व अभिलेख के परिवर्तन व परिवर्धन के फलस्वरूप किसी भी भू-स्वामी के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है अथवा क्षति पहुंचती है, भारतीय दंड संहिता में दिये गये प्राविधानों, धारा 166 व 167 के अंतर्गत उनके विरूद्ध प्रभावित व्यक्ति द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जा सकेगी,

लेखपाल व कानूनगो के अनुरक्षण में रखे गये अधिकार अभिलेख सार्वजनिक अभिलेख होंगे जो कि राज्य सरकार की संपत्ति होगी।

13. राजस्व निरीक्षक:जिला कलक्टर प्रत्येक तहसील में राजस्व अभिलेखों के समुचित, अनुरक्षण, शोधन व पर्यवेक्षण तथा ऐसे अन्य कत्र्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करें, एक या एक से अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है।

14. पदों का क्रम:

(1) सभी राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मी राज्य सरकार के अधीनस्थ समझे जायेंगें

(2) प्रत्येक मण्डल के राजस्व अधिकारी व कर्मी मंडलायुक्त के अन्तर्गत नियुक्त समझे जायेंगें।

(3) प्रत्येक जिले के सभी राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य निर्देश न दें। जिला कलक्टर के अंतर्गत कार्यरत समझे जायेंगें जिनका मुख्य नियंत्रण जिला कलक्टर के अधीन होगा।

(4) जिले में बन्दोबस्त प्रक्रिया के समय सभी बन्दोबस्त कार्य में रत कर्मचारी बन्दोबस्त अधिकारी के अंतर्गत कार्यरत रहेंगे।

15. असिस्टेंट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी (न्यायिक)ः राज्य सरकार के निर्देश पर समय-समय पर जिला कलेक्टर की संस्तुति से राजस्व सम्बन्धी वादों (न्यायिक) कार्याेंं के निस्तारण हेतु प्रत्येक जिले में

एक या एक से अधिक पद असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी (न्यायिक) सृजित किया जा सकेगा। उक्त पद का पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों से पूर्णतः मुक्त रहेगा तथा पदधारक को इस अधिनियम द्वारा असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी को न्यायिक कार्यों के निस्तारण हेतु प्राप्त सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

16. धन, अभिलेख, स्टेशनरी व अन्य सरकारी सम्पत्ति

की वसूली:-

(क)कलेक्टर ऐसे मामलों में जिसमें राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मी जो पहले उस जिले में सेवारत रहे हों तथा उनके प्रभार में राजकीय अभिलेख, धन, स्टेशनरी व अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावा शेष हो और उनके द्वारा पदमुक्ति के समय सम्बन्धित अधिकारी को समर्पित न किया हो, दिनांक समय तथा स्थान को निर्देशित करते हुए समर्पित करने का आदेश करते हुए अपेक्षा करेगा।

(ख)यह कि यदि उक्त अधिकारी व कर्मचारी उक्त आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो कलेक्टर उसे गिरफ्तार करवाकर नियत प्रपत्र में वारंट के साथ सिविल कारागार में तब तक निरूद्ध करने हेतु आदेशित कर सकेगा, जब तक कि वह उक्त आदेश का

अनुपालन न करें। परन्तु कोई व्यक्ति ऐसे वारंट के आधार पर तीस दिवस से अधिक निरूद्ध नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय 4
ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण व संरक्षण

17. ग्रामों की सूची -

(1) कलेक्टर अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से जिले के तहसील क्रम से समस्त ग्रामों को सूचीबद्ध करते हुए एक रजिस्टर तैयार करायेगा तथा उक्त रजिस्टर जिला कलेक्टर के अनुरक्षण में रखा जायेगा, ग्रामों की सूची में निम्न भी दर्शित किया जायेगा।

(क) नदी के बहाव से प्रभावित क्षेत्र।
(ख) अनिश्चित खेती वाले क्षेत्र।
(ग) अन्य विवरण जो समयानुसार आवश्यक
समझे जायें।

(2) उक्त रजिस्टर का प्रत्येक पांच वर्ष के अधिकतम समय पर जैसा भी समयानुसार युक्तियुक्त समझा जाये, पुनरीक्षण किया जायेगा।

18. मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण:- कलेक्टर प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा, तथा प्रति वर्ष के अन्तर्गत उसमें होने वाले परिवर्तन व परिवर्धन को अंकित करायेगा तथा उन त्रुटियों को भी जो उस समय के अन्तर्गत हुई है, का शमन भी करायेगा। कलेक्टर को इसके अन्तर्गत बन्दोबस्ती मानचित्र की त्रुटि को भी संशोधन का अधिकार होगा।

19. अधिकार अभिलेख:-

(1) कलेक्टर निर्धारित रीति से विहित प्रपत्र में प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख (खतौनी) निर्मित करायेगा, जिसमें अधिकार सम्बन्धी निम्न विवरण दिया जायेगा।

(क) समस्त खातेदारो (कृषको) के नाम उनके द्वारा सर्वेक्षण सं0 अथवा खसरा संख्या तथा उसका क्षेत्रफल।
(ख) खातेदारो के वर्ग तथा दायित्व राजस्व लगान (यदि देय हो)
(ग) आवासीय, राज्य सरकार, ग्राम सभा, स्थानीय प्राधिकरण या पालिका उसमें निहित भूमि (जिसमें लगान देय न हो) का समस्त विवरण
(ड) अन्य विवरण जो समयानुसार विहित किये जायें।

20. उत्तराधिकार संबंधी अन्तरण:

(1) उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक को सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना देगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त सूचना प्राप्ती पर अथवा उसके स्वंय संज्ञान में तथ्य आने की दशा मंे राजस्व निरीक्षक

(क) यदि उत्तराधिकार केे संबंध में कोई विवाद नही हो तो जंाच आख्या सहित अभिलेख अधिकार में उत्तराधिकारी का नाम अंकित करेगा।

(ख)यदि उत्तराधिकार विवादग्रस्त है तो अपनी जांच आख्या सहित तहसीलदार को प्रेषित कर देगा।

(ग) यदि राजस्व निरीक्षक द्वारा उपधारा (क) व (ख) में वर्णित अधिकारों का उपयोग नहीं करता हैं, तो उससे व्यथित व्यक्ति स्वंयमे व तहसीलदार के समक्ष इससे संबंधित आवेदन कर सकेगा।

(3) इस धारा के अन्तर्गत, धारा 63 के अन्तर्गत वर्णित सभी प्रकार के कृषको के उत्तराधिकारी आवेदन कर सकते हैं।

21. अंतरण संबंधी सूचना:

(क)धारा 20 के अन्तर्गत दिये गये अन्तरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की सूचना उस क्षेत्र के तहसीलदार को अन्तरण संबंधी सभी अभिलेखो की सत्य प्रतियो सहित, जिस क्षेत्र में अन्तरित भूमि स्थित हैंै, देगा।

(ख)कोई राजस्व न्यायालय इस प्रकार उत्तराधिकार प्राप्त करने या अन्यथा कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दायर किया गया कोई भी वाद अथवा आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उपधारा (क) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना न दी हो।

22. जिला निबन्धक द्वारा अन्तरण सूचना दायित्व:

यदि कोई भी अभिलेख जो कि धारा 20 से भिन्न अन्तरण से संबंध रखता हो पंजीकरण हेतु जिला निबन्धक व सहायक निबन्धक के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है तो जिला निबंधक तथा सहायक निबंधक का दायित्व है कि उसकी एक सत्य प्रतिलिपि संबंधित तहसीलदार को यथाशीघ्र भेज दे। तहसीलदार द्वारा उसका संज्ञान लेेते हुए भी धारा 21 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना मानते हुए संबंधित राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण संबंधी कार्यवाही संम्पन्न करेगा।

23. अंतरण संबंधी सूचना हेतु अवधिः- धारा 20 से 22 तक अंन्तरण संबंधी सूचना देने की अधिकतम अवधि 90 दिवस तक की होगी, तदउपरान्त 10/-रू0 प्रतिमाह

विलम्ब शुल्क से एक वर्ष के अंतराल में तथा एक वर्ष से अधिक तथा 12 वर्षों तक की अधिकतम सीमा तक 200/-रू0 प्रतिवर्ष विलम्ब शुल्क देय पर किया जा सकेगा। तद्उपरान्त अन्तरिति का अंतरण संबंधी अधिकार समाप्त समझा जायेगा, इससे क्षुब्ध होने पर अन्तरिति धारा 114 के अन्तर्गत नियमित वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करके अपने अधिकारों की घोषणा करा सकता है।

24. अंतरण संबंधी सूचना प्रकरण विधिः- धारा (21) व (22) के अन्तर्गत अंतरण संबंधी सूचना प्राप्ति पर संबंधित तहसीलदार द्वारा तद्संबंधी 30 दिवस से अनधिक समय का घोषणापत्र संबंधित पक्षों सहित ग्राम सभा के प्रधान को भेजा जायेगा। जिसके अनुसार अवधी समाप्ति के उपरान्त,

(क) यदि अंतरण विवाद हीन है तो संबंधित राजस्व अभिलेखों में अन्तरीति के पक्ष में नामान्तरण हेतु आदेश करेगा।

(ख) यदि अंतरण विवादित है, तथा तहसीलदार स्तर से उसके सुलझने की आशा समाप्त हो चुकी है तो उसे अपनी सम्पूर्ण आख्या सहित उसके निस्तारण हेतु संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी को उसके निस्तारण हेतु प्रेषित कर देगा।

(ग) यह कि उपजिलाधिकारी द्वारा तद्संबंधित विवाद को अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमित वाद के रूप में सुनवाई करते हुए उसका निस्तारण किया जायेगा।

25. अधिकार अभिलेखों में त्रुटि संशोधनः-

(1) अधिकार अभिलेखों में त्रुटि होने पर प्रभावित व्यक्ति इस संबंध में सम्पूर्ण तथ्यों सहित संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष उसके निवारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। तथा उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्ति पर तहसीलदार द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(क) तद्विषयक प्रार्थनापत्र प्राप्ति पर उसके संबंध में जांच करायेगा, तथा सम्पूर्ण जांच आख्या सहित उसे निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारी को प्रति प्रेषित करेगा।

(ख) उपजिलाधिकारी द्वारा उक्त जांच आख्या तथा प्राथर्ानापत्र मे समर्पित तथ्यों के आधार पर यदि त्रुटि लिपिकीय है तो उसका युक्तियुक्त आदेश से निस्तारण कर देगा, तथा यदि त्रुटि से किसी

व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होते है तो उसे सम्मन करके न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर उसका निस्तारण करेगा, तथा इस संबंध में उपजिलाधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम समझा जायेगा परन्तु धारा 21 व 22 व 24(क) तथा 25 (ख) के अन्तर्गत पारित निर्णयों के विरूद्ध प्रभावित पक्षकार को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अध्याय-5

ग्राम अभिलेखोेंं का पुुनरीक्षण व सर्वेक्षण

26. अभिलेखोेंं के पुनरीक्षण और सर्वेक्षण प्रक्रिया की अधिसूचना:

(1) राज्य सरकार की राय में जब भी किसे जिले या स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण या पुन सर्वेक्षण या दोनों आवश्यक है तो वह आशय की अधिसूचना जारी करेगी, तत्पश्चात ऐसा जिला या क्षेत्र यथास्थिति, अभिलेख प्रक्रियाओं या सर्वेक्षण प्रक्रियाओं या सर्वेक्षण प्रक्रियाओं के अधीन समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार अनुवर्ती सूचना द्वारा उसमें परिवर्धन, परिवर्तन करने के साथ-साथ खंड (1) में जारी अधिसूचना को संशाेिधत, निरस्त अथवा समाप्त घोषित कर सकती है।

27. अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी:-

(1)राज्य सरकार एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो अभिलेख प्रक्रियाओं, या सर्वेक्षण प्रक्रियाओं दोनों का प्रभारी होगा, तथा उसकी सहायता हेतु उतने सहायक अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने उचित समझे जायें।

(2)सहायक अभिलेख अधिकारी जब तक धारा 26 (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना लागू रहे अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त सभी अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

28. अभिलेख सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्तियां:- जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख सर्वेक्षण प्रक्रिया के अधीन हैं। वहां अभिलेख अधिकारी धारा 37 से 41 तक इस अधिनियम में दी गयी शक्तियों का ही प्रयोग कर सकेगा।

29. अभिलेख प्रक्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षणः- जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख प्रक्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेख (खतौनी) का पुनरीक्षण करवायेगा।

30. सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान का पुनरीक्षण:- जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण प्रक्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी, उसमें सम्मिजित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार करायेगा और

तत्पश्चात मानचित्र के आधार पर क्षेत्रपंजी (खसरा) तथा अधिकार अभिलेख (खतोनी) का पुनरीक्षण कार्यवाही करेगा।

(क) सीमाचिन्हों के निर्माण के संबंध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति:-जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण प्रक्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम सभा और भू-धारको को निर्देश देते हुए उदघोषणा जारी करेगा कि वह अपने गांवों तथा

अधिकार क्षेत्र की भूमि सुरक्षा हेतु पन्द्रह दिवस के अंतर्गत ऐसे सीमा चिन्हों का निर्धारण करें जो कि युक्तियुक्त हो, तथा तद्नुसार सीमा चिन्हों का निर्माण कराने में सक्षम होगा, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली जिला कलक्टर के माध्यम से ग्राम सभाओं अथवा भू-धारकों से की जायेगी।

31. मानचित्र और अभिलेख पुनरीक्षण प्रक्रिया:-

(1) धारा (29) व (30) के अधीन मानचित्र और अभिलेखों का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख उपधारा (1) (2) से (8) तक उपबन्धों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानहचत्र में सुधार, क्षेत्रवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख (खतौनी) का परीक्षण और सत्यापन मौके के अनुसार करायेगा।

(2) चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के उपरांत नायब तहसीलदार ऐसे अभिलेख में लिपिकीय त्रुटि सहित अन्य त्रुटियों को यदि कोई हो तो शुद्ध करेगा, और संबद्ध, खातेदारों तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना जारी करेगा, जिससे चालू अधिकार अभिलेख और ऐसे संबंधित अभिलेख से संबंधित उद्धरण देते हुए जो कि उपधारा (1) की प्रक्रिया के दौरान पाये गये हो उन त्रुटियो तथा विवादों का उसमें उल्लेख किया जायेगा।

(3) जिस व्यक्ति को उपधारा (2) कें अंतर्गत सूचना जारी की गई हो वह उक्त सूचना प्राप्ति के 21 दिवस की अवधि के अंतर्गत नायब तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसमे उन त्रुटियों की शुद्धता या औचित्य के प्रश्न चिहन का प्रतिकार किया गया हो।

(4) भूमि से हितबद्ध कोई व्यक्ति उपधारा (5) के आधार विवाद किये जाने से पूर्व किसी भी समय नायब तहसीलदार के समय या उपधारा (6) के अनुसार आपत्ति निस्तारण से पूर्व सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(5) नायब तहसीलदार द्वारा निस्तारण प्रक्रिया

(क) जहां उपधारा (3) और (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जाये वहां सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत।

(ख) अन्य स्थिति में जांच के उपरांत जैसा वह आवश्यक समझे त्रुटि का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के मध्य समझौता द्वारा विवाद का निस्तारण करेगा, और ऐसे समझौते पर आधारित ही आदेश देगा।

(6) नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) के अंतर्गत निस्तारित न किये जा सकने योग्य सभी विवादों को सहायक अभिलेख अधिकारी को सम्पूर्ण तथ्यों व प्राप्त साक्ष्यों के निस्तारण हेतु प्रति प्रेषित करेगा तथा सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा उक्त विवाद का निस्तारण धारा 39 मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा, तथा जहाँ

भौमिक अधिकार का प्रश्न निहित हो तो उसका निस्तारण साधारण जांच प्रक्रिया के उपरांत संतुष्ट होने के उपरांत तदनुसार करेगा।

(7) उपधारा (6) के अनुसार जांच प्रक्रिया के दौरान यदि सहायक अभिलेख अधिकारी इस धारणा से संतुष्ट हो कि विवादित भूमि में राज्य सरकार अथवा ग्राम समाज का हित निहित है तो वह उक्त भूमि पर अनाधिकृत अध्यासी को निष्कासित करायेगा और इस प्रयोजन हेतु यदि उसे बल प्रयोग की आवश्यकता हुई वह भी प्राप्त कर सकेगा।

(8) उपधारा (6) व (7) के अंतर्गत सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय से व्यथित व्यक्ति, निर्धारित रीति से अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा, तथा उक्त अपील को निस्तारित करते हुए अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित निर्णय अन्तिम समझा जायेगा।

32. अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप देना:-

धारा 31 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षण करने के उपरांत सहायक अभिलेख अधिकारी अपने दिनांक सहित हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पुष्टि करेगा अथवा उसमे यथासंभव संशोधन करेगा।

33 नया अधिकार अभिलेख तैयार करना:- तत्पश्चात सहायक अभिलेख अधिकारी अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिये धारा 32 में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख (खतौनी) के आधार पर धारा 19 व 20 में वर्णित अभिलेख तैयार करेगा और जिला कलक्टर द्वारा पहले से विद्यमान अभिलेख के स्थान पर इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख रखा जायेगा।

34. प्रविष्टियों के संबंध में धारणा:-इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार अभिलेख (खतौनी) में समस्त प्रविष्टियाँ तब तक सत्य समझी जायेगी, जब तक कि इसके विरूद्ध इन्हें साबित न कर दिया जाये तथा इस अध्याय के अंतर्गत निर्मित अधिकार अभिलेख (खतौनी में) दी गई प्रविष्ठियों से व्यथित व्यक्ति धारा 114 में दिये प्राविधानो के अनुसार नियमित वाद प्रस्तुत करने को अधिकृत होगा।

अध्याय -6
सीमा और सीमा चिन्ह

35. सीमा का निर्धारण और सीमांकन :-

(1) राज्य में स्थित सम्पूर्ण जिलों में स्थित राजस्व ग्रामों की सीमायें ध्याय 5 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर निर्मित राजस्व मानचित्र में दिये अनुसार सीमा चिन्हों द्वारा नियत व सीमांकित होगी।

36. सीमा चिन्हांे का अनुरक्षण और मरम्मत का दायित्व:

(1) प्रत्येंक खातेदार अपनी भूमि मंे या उसकी सीमा

पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्हांे का संरक्षण और क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में उसकी मरम्मत पर व्यय करने का पूर्ण उत्तरदायी होगा।

(2) ग्राम सभा अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उपधारा (1) में वर्णित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों, का अपने व्यय पर संरक्षण तथा क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में मरम्मत करने का उत्तरदायी होगा।

37. सीमा चिन्हों को क्षति पहुँचाना:- सीमा चिन्हों को क्षति पहुंचने की अवस्था में संबंधित क्षेत्र में लेखपाल द्वारा इस संबंध में क्षति पहंुचाने वाले संबंधित व्यक्ति से अवगत कराते हुये तत्काल सूचना संबंधित तहसीलदार को देगा तथा तहसीलदार द्वारा इसकी जांच उपरांत अपनी आख्या सहित जांच रिपोर्ट उपजिलाधिकारी को सौंपेगा।

38. सीमा चिन्ह के पुनः निर्माण व क्षतिपूर्ति:-

धारा 37 के अनुसार सीमा चिन्ह के क्षेत्र की रिपोर्ट की प्राप्ति पर उपजिलाधिकारी द्वारा क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 434 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ-साथ उससे क्षतिपूर्ति की राशि भी राजस्व वसूली की प्रक्रिया के अनुसार वसूली करा सकता है तथा ग्राम सभा को आदेशित करते हुए उनका पुनः निर्माण कराने के उपरांत उसमें आई क्षति पूर्ति की राशि संबंधित भू-धारक अथवा ग्राम सभा से भी वसूली कर सकता है।

39. सीमा संबंधी विवाद:-

(1) उप जिलाधिकारी द्वारा किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवदेन प्राप्ति पर अथवा स्व-प्रेरणा से सीमा संबंधी विवाद का विनिश्चय सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त मानचित्र अथवा जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 में दिये प्राविधानों के अंतर्गत निर्मित मानचित्र के आधार पर अथवा यदि संभव न हो सके तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा निस्तारित कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद में जांच के अंतर्गत उपजिलाधिकारी कब्जे की वास्तविकता का समाधान न हो सके तथा यह पाया जाय कि विधीपूर्ण अध्यासी को अवैध रूप से बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है तो उपजिलाधिकारी,

(क) प्रथम स्थिति मे संक्षिप्त जांच द्वारा सर्वाधिक अधिकार युक्त व्यक्ति के अभिनिश्चय होने पर उसे कब्जा दिलायेगा।

(ख)द्वितीय स्थिति में बेदखल किये गये व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा और उस प्रयोजन हेतु सीमा निर्धारण कराने के उपरांत बल प्रयोग से भी उसे कब्जा दिलाने में सक्षम होगा।

(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से यथासंभव एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न की जायेगी।

40 मार्ग व अन्य सुखाधिकार:- सार्वजनिक मार्ग, या सार्वजनिक भूमि से भिन्न ऐसे मार्ग जिनसे होकर कोई भूधारक या कृषि श्रमिक अपनी भूमि अथवा गांव की बंजर या चारागाह भमि तक पहंुच सके, या ऐसे जल स्त्रोत अथवा जल मार्ग जिनसे सिचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके। कोई भी विवाद उत्पन्न होने की दशा में तहसीलदार द्वारा स्थानीय जांच के उपरांत सभी की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विद्यमान प्रथा के अन्तर्गत विवाद का निस्तारण कर सकेगा तथा ऐसे अवरोधों का निवारण वह बल प्रयोग से भी कराने में सक्षम होगा तथा उसमें संबंधित अवरोध उत्पन्नकर्ता से निराकरण की क्षतिपूर्ति भी राजस्व वसूली के रूप में वसूल कर सकेगा।

41.अवरोध का निवारण:-यदि तहसीलदार को स्व-प्रेरणा अथवा किसी व्यक्ति की शिकायत पर विनिश्चय हो कि किसी अवरोध से ग्राम सभा का सार्वजनिक मार्ग, पंगडंडी, जलमार्ग अथवा सार्वजनिक उपभोग की भूमि के अबाध उपयोग में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है तो ऐसे अवरोध को हटाने का निर्देश दे सकता है और उक्त अवरोध हटाने के लिए बल का प्रयोग करा सकता है और संबंद्ध व्यक्ति से उसकी क्षतिपूर्ति राजस्व वसूली की तरह वसूल कर सकता है।

42 उपजिलाधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति:

धारा 40 व 41 के अन्तर्गत तहसील द्वारा विनिश्चय किये गये किसी भी प्रकरण के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है, और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देने के उपरान्त ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

43. रूढ़ीगत सुखाधिकार का अधिकार: इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को रूढ़ीगत सुखाधिकार से वंचित नहीं करेगा तथा उक्त सुखाधिकार के सम्बन्ध में व्यथित व्यक्ति को सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

44. अभिलेखों का संशोधन व परिवर्तन: (1) जिला कलैक्टर की शक्तियों के अधीन उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षक केवल स्वामित्व व हित सम्बन्धी विवादित त्रुटियों को

छोड़कर पिछले अभिलेखों के आधार पर अधिकार अभिलेख (खतौनी) क्षेत्र पंजी (खसरा) में घटित समस्त परिवर्तनों व त्रुटियों को स्वः प्रेरणा अथवा व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर संशोधित कर सकेगा।

(2) जिला कलैक्टर स्वः प्रेरणा अथवा व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर राजस्व मानचित्र में घटित त्रुटि को परिवर्तित अथवा संशोधित करने में सक्षम होगा। उपरोक्त अवस्था

में किया गया निस्तारण प्रत्येक दशा में अन्तिम समझा जायेगा। इससे व्यथित व्यक्ति अपने अधिकारों हेतु नियमित वाद प्रस्तुत करने में सक्षम होगा।

अध्याय 7
भूमि और अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व

45. निजी आवासीय भाग, पेड़ों, इमारतों के सम्बन्ध में:

(क) इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से ठीक पूर्व से स्थित निजी आवासीय भवन, इमारतों, व्यापारिक भवनों, पेड़ों, कुओं तथा उनसे संलग्न भूमि जो जैसे है, उन्हीं स्वामियों के स्वामित्व में बने रहेंगे, तथा इस अधिनियम के प्राविधान उन पर लागू नहीं समझे जायेंगे।

(ख) आवासीय व व्यापारिक भवनों, इमारतों के सम्बन्ध में संलग्नक भूमि का अभिप्राय निर्मित भाग के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

46. भू-धारकों के खातों से इतर अन्य सम्पूर्ण भूमि आदि में राज्य का स्वामित्व: धारा 19 में वर्णित अधिकार अभिलेखों में अंकित भू-धारकों के स्वामित्व मे अंकित भूमि के अलावा सम्पूर्ण भूमि, सार्वजनिक मार्ग, नदी, झरने, पोखर, ताल आदि की सम्पूर्ण भूमि, जो किसी के स्वामित्व में दर्शित न हो, का स्वामित्व सभी भार व बन्धनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

47. फलदार वृक्ष:

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी या वन अथवा लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी जो तहसीलदार अथवा सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियन्ता की श्रेणी से कम न हो, की लिखित अनुज्ञा से कोई फलदार वृक्ष किसी सार्वजनिक मार्ग पथ, या नहर के किनारे रोपित किया गया हो, ऐसा होते हुए भी ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित होगी और वह व्यक्ति और उसके विधिक प्रतिनिधि बिना किसी भी प्रकार व संदाय के ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक मार्ग, पथ या नहर की पटरी के किनारे फलदार वृक्ष आरोपित करने का इच्छुक व्यक्ति कलैक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है, तथा खण्ड (1) के उपबन्ध भी इस निमित्त ऐसी अवस्था में लागू होंगे।

(3) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे, परन्तु फलदार वृक्ष रोपित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों को उन वृक्षों तथा उस भूमि का जिस पर वह स्थित हों कोई मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

48. खान और खनिज:

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने, खनिज पदार्थों का उत्खनन करने का अधिकार खान और खनिज (विनियमन और विकास अधिनियम) द्वारा शासित होगा।

(2) खानों या खनिजों की कार्यप्रणाली उसके उत्खनन और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की दिनांक से संचालित होने, से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम द्वारा निरसित किये गये किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाघृत या पट्टाधारक समझे गये भवन या भूमि के पट्टेदार के पास कब्जा, ऐसे किराये के संदाय पर जैसा कि प्रारम्भ होने की तिथि को प्रवृत्त था निरन्तर बना रहेगा।

49. कलैक्टर द्वारा विनिश्चय किये जाने वाले विवाद:

(1) धारा 46 व47 के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धित सभी विवादों का निस्तारण जिला कलैक्टर द्वारा किया जायेगा।

(2) जिला कलैक्टर के आदेश से व्यथित व्यक्ति उक्त आदेश के पारित होने की तिथि से दो माह के अन्तर्गत आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी अवस्था में आयुक्त का निर्णय अंन्तिम समझा जायेगा।

अध्याय 8
ग्राम सभा या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा प्रबन्धन

50. ग्राम सभा व अन्य निकायों को भूमि आदि का सौंपा जाना:

(1) राज्य सरकार निर्धारित रीति से साधारण व असाधारण विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियन्त्रण, प्रबन्धन व संरक्षण आदि के लिए ग्राम सभा या स्थानीय निकाय को उपधारा (2) में तदर्थ निर्दिष्ट ऐसा समस्त या कुछ आस्थान सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हैं।

(2) निम्न भूमि तथा आस्थान ग्राम सभा या स्थानीय निकाय को सौंपे जा सकते है।

(क) निजी जोत की भूमि तथा बाग को छोड़कर अन्य खेती योग्य अथवा बंजर भूमि।

(ख) जंगल तथा पशुचर भूमि।,

(ग) निजी जोत अथवा बाग के वृक्षों को छोड़कर
निजी स्वामित्वहीन भूमि के वृक्ष।

(घ) मत्स्य पूरित व रहित तालाब, पोखर, झरने, गूल तथा उनके बहने के स्थान।

(ड.) सार्वजनिक हाट, बाजार, मेलों (थौल) की भूमि, चरागाह, सार्वजनिक मार्ग तथा सार्वजनिक भूमि, जो आबादी हेतु हो।

(3) ऐसी अन्य भूमि तथा आस्थान:

(क) जो भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम 1950 के प्राविधानों द्वारा ग्राम सभा में निहित की गयी।

(ख) जो भूमि जो उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम के अनुसार चकरोड के रूप में छोड़ी गयी।

(ग) जो भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1953 के प्राविधानों अनुसार राज्य सरकार में निहित की गयी।

(घ) जो भूमि तथा आस्थान जौनसार बाबर जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत ग्राम सभा में निहित की गयी।

(ड.) जो भूमि तथा आस्थान कुमाऊं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम के 1960 की धारा 41 के अनुसार ग्राम सभा में निहित की गयी।

(च) जो भूमि तथा आस्थान उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम 1956 की धारा 60 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय में निहित की गयी। उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संरक्षण प्रबन्धन, नियन्त्रण आदि के प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की दिनांक से या उसके कब्जा प्राप्ति की तिथि से यथास्थिति सभी भार बन्धनों से मुक्त ग्राम सभा या स्थानीय निकाय को सौंपा हुआ समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार निर्धारित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा:

(क) उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन या निरस्त कर सकती है।

(ख) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सौंपी गयी किसी भूमि या अन्य आस्थान ग्राम सभा के प्रबन्धन, नियन्त्रण, संरक्षण से हटाकर स्थानीय निकाय को समर्पित कर सकती है।

(ग) किसी ग्राम सभा या स्थानीय निकाय को सौंपी या अन्तरित की गयी कोई भूमि या आस्थान ऐसी निर्बन्धन एवं शर्तो पर जैसी की नियत की जाय वापिस ले सकती है।

(घ) ऐसी शर्ते अथवा निर्बन्धन अधिरोपित कर सकती है जिनके अधीन इस धारा के अधीन उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा।

(5) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आस्थान किसी ग्राम सभा को सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी गयी हों, तथा वह ग्राम सभा के क्षेत्र से बाहर हो वहां ऐसी ग्राम सभा या उसकी भू-प्रबन्धक

समिति इस निमित राज्य सरकार द्वारा निर्गत किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन इस अधिनियम या उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम द्वारा उसके अधीन ग्राम

सभा या भू-प्रबन्धक समिति पर समुनदेशित, अधिरोपित या प्रदत्त कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन व निर्वहन और प्रयोग करेगी मानों वह उक्त ग्राम सभा के भाग के अन्तर्गत क्षेत्र में आता है।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट कोई आस्थान ग्राम सभा से भिन्न किसी स्थानीय निकाय को सौंपी गयी हो तो वहां इस अध्याय के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे स्थानीय निकाय पर लागू होंगे।

51. भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रबन्ध, व्यवस्था तथा नियन्त्रण:

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबन्धक समिति को ग्राम सभा के निमित और उसकी तरफ से धारा 50 के अधीन उस ग्राम को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी समस्त भूमि और अन्य आस्थान, जिन पर ऐसी ग्राम सभा को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो, के संरक्षण व्यवस्थापन, प्रबन्धन तथा नियन्त्रण का कार्य प्रभारित किया जायेगा।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्न कार्य शामिल होंगे।

(क) भूमि की व्यवस्था और प्रबन्धन।

(ख) वनों, वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन तथा विकास।

(ग) आबादी स्थलों तथा ग्रामीण सुखाधिकार तथा पशुचर भूमि की व्यवस्था और उसका संरक्षण।

(घ) सार्वजनिक हाटों, बाजारों, मेलों (थोल) का प्रबन्धन।

(ड.) तालाबों, पोखरों, जल स्रोतों तथा मत्स्य पालन क्षेत्रों का विकास व अनुरक्षण।

(च) कुटीर उद्योग की सहायता व विकास।

(छ) कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों का विकास और सुधार।

(ज) ग्राम सभा द्वारा अथवा उसके विरूद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन।

(झ) तथा अन्य कर्तव्यों जो समयानुसार निहित किये जाये।

52. ग्राम तालाबों की व्यवस्था व प्रबन्धन:

जहां किसी ग्राम में किसी तालाब, पोखर या अन्य जल स्रोत जहां, जल एकत्र होता हो धारा 50 के अधीन किसी ग्राम सभा को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है, उक्त तालाब व पोखर को किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को किराये पर न दिया जा सकेगा। उसे केवल सार्वजनिक उपयोग हेतु ग्रामवासियों तथा उनके पशुओं आदि के प्रयोग हेतु ही लाया जा सकेगा।

53. वादों और वैधानिक कार्यवाही का संचालन:

(1) भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष या उसका ऐसा सदस्य जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा इस निमित प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किया जाय, ग्राम सभा के निमित

और उसकी तरफ से वादों और अन्य कार्यवाहियों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिए किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तथा समस्त कार्य करने हेतु सक्षम व समर्थ होगा।

(2) ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही जिसमें ग्राम सभा एक पक्षकार हो तथा ग्राम सभा का हित निहित हो, ऐसी अवस्था में उक्त वाद का प्रत्यहरण तथा उसमें समझौता तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक इस सम्बन्ध में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा तद्विषयक प्रस्ताव न पास कर दिया गया हो तथा उसका उपजिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन न कर दिया हो।

54. आबादी स्थलों हेतु आबंटित किये जा सकने वाली भूमि:

(1) भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के आधार तथा उपजिलाधिकारी के अनुमोदन पर उपधारा (3) में दिये गये पात्र व्यक्तियों को आबंटन हेतु आबादी स्थलों की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को चिन्हित कर सकता है:

(क) धारा 50 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में किसी ग्राम सभा को सौंपी गयी समस्त भूमि।

(ख) इस अधिनियम के अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम सभा के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्ध में या उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबन्धक समिति, उपजिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माणार्थ आबंटित कर सकती है।

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भूमि

(ख) उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों हेतु चिन्हित भूमि,

(ग) भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आबादी हेतु अर्जित की गयी भूमि।

(3) आबादी स्थलों का आबंटन: उपधारा (1) व (2) में दी गयी भूमि का आबंटन करने में निम्न वरियता क्रम का अनुपालन किया जायेगा।

(क) ग्राम सभा के अन्तर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से सम्बन्धित कोई कृषि श्रमिक या कारीगर (शिल्पकार),

(ख) ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कारीगर तथा विकलांग व्यक्ति तथा असक्त विधवा

(ग) भूतपूर्व सैनिक, स्वतन्त्रता संग्राम तथा उत्तराखण्ड आन्दोलन से जुड़े व्यक्ति, अथवा उनके परिवार के सदस्य उपरोक्त (क) (ख) (ग) में उन व्यक्तियों को ही वरीयता दी जायेगी जिनके पास अपना निजी आवास न हो।

(4) आबंटी को कब्जा दिया जाना:

(क) उपधारा (3) के अधीन किसी आवासीय प्रयोजन हेतु उपधारा (1) व (2) में दी गयी भूमि का आबंटन किया गया हो और इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में आबंटी से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसी भूमि हो वहां उपजिलाधिकारी द्वारा आबंटी के आवेदन पर ऐसी भूमि का कब्जा आबंटी को दिलाया जायेगा और उक्त प्रयोजन के लिए समयानुसार बल का प्रयोग भी कर सकता है।

(ख) यह कि जहां उपजिलाधिकारी को आबंटन से व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच के उपरान्त यह पाया जाता है कि आबंटन गलत हुआ है, अथवा आबंटित भूमि उपधारा (1) व (2) के अन्तर्गत आने वाली भूमि से पृथक भूमि है, तो वह उक्त जांच से सम्पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति सहित जिला कलैक्टर को अपनी जांच आख्या प्रतिप्रेषित कर देगा।

(ग) जिला कलक्टर द्वारा पक्षकारों को सुनवायी का समुचित अवसर देकर उपजिलाधिकारी द्वारा जांच आख्या तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आबंटन रद्द करने अथवा उसे यथावत रखने हेतु आदेश करेगा। ऐसी अवस्था में जिला कलक्टर द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

55. ग्राम सभा की सम्पत्ति का दुरूपयोग, क्षति अथवा अवैध अधिभोग:

(1) जहां भू-प्रबन्धक समिति अथवा स्थानीय निकाय को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राप्त सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भी जा रही हो, अथवा उसका दुरूपयोग, या अवैध रूप से कब्जा करके उसका अधिभोग किया जा रहा है, तथा उसका प्रयोग उस प्रकार नहीं किया जा रहा है जिस प्रयोजन हेतु वह दी गयी है, वहां भू-प्रबन्धक समिति या स्थानीय निकाय या सम्बन्धित लेखपाल इससे सम्बन्धित सूचना उपजिलाधिकारी को देगा।

(2) यह कि उपजिलाधिकारी को उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त सूचना अथवा स्व प्ररेणा से भी यदि उसे यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि का दुरूपयोग अथवा अवैध रूप से उपयोग या कब्जा किया जा रहा है तो वह उस व्यक्ति को नोटिस में दर्शित तिथि तक जो कम से कम 30 दिवस से कम न हो, कारण बताओ नोटिस इस आश्य का देगा जिसमें स्पष्ट किया

होगा कि उस व्यक्ति द्वारा किये गये दुरूपयोग, अथवा अवैध रूप से उपयोग या कब्जे के कारण उससे जुर्माने द्वारा क्षतिराशि जो कि उस नोटिस में अंकित हो, के साथ-साथ उसे बलपूर्वक उक्त भूमि से बेदखल क्यों न किया जाय।

(3) यह कि उपजिलाधिकारी द्वारा जिस व्यक्ति को उपधारा (2) के अन्तर्गत सूचना प्रेषित कर दी गयी हो, तो वह निर्धारित तिथि अथवा तद्पश्चात् बढ़ायी गयी तिथि तक उपजिलाधिकारी को उक्त कृत्य के विरूद्ध अपने को निर्दोष साबित करने में असमर्थ रहता है, ऐसी अवस्था में उपजिलाधिकारी उस व्यक्ति को बल पूर्वक उक्त भूमि से निष्कासित करने तथा वांछित क्षतिपूर्ति राशि जुर्माने के रूप में भू-राजस्व वसूली की तरह वसूल किये जाने हेतु आदेश करेगा।

(4) यह कि यदि उपजिलाधिकारी के समक्ष उसके विरूद्ध कार्यवाही में वह व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित करने में सक्षम व समर्थ रहता है तो उपजिलाधिकारी उसके विरूद्ध प्रेषित कारण बताओ नोटिस को वापिस ले लेने हेतु आदेश करेगा।

(5) यह कि यदि उपजिलाधिकारी के समक्ष कार्यवाही सम्पन्न किये जाते समय साक्ष्य एवं तथ्यों से उसमें स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न दृष्टिगोचर होता है तो उपजिलाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही रोक दी जायेगी और उसे आदेशित किया जायेगा कि वह उक्त तिथि के 3 माह के अन्तर्गत अपने अधिकारों की घोषणा हेतु धारा 114 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दें, तद्समय तक उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(6) यह कि उपधारा (5) के अन्तर्गत निर्धारित समय तक उक्त व्यक्ति सम्बन्धित वाद प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है अथवा उसका वाद निरस्त कर दिया जाता है तो उसके विरूद्ध उपधारा (3) में दिये अनुसार कार्यवाही करने हेतु उपजिलाधिकारी द्वारा आदेशित कर दिया जायेगा।

(7) उपजिलाधिकारी द्वारा उपधारा (2) से (6) के अन्तर्गत किये गये आदेश के विरूद्ध व्यथित व्यक्ति जिला कलक्टर के समक्ष 30 दिवस के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) यह कि यदि उपजिलाधिकारी के समक्ष उसके विरूद्ध कार्यवाही में वह व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित करने में सक्षम व समर्थ रहता है तो उपजिलाधिकारी उसके विरूद्ध प्रेषित कारण बताओ नोटिस को वापिस ले लेने हेतु आदेश करेगा।

(5) यह कि यदि उपजिलाधिकारी के समक्ष कार्यवाही सम्पन्न किये जाते समय साक्ष्य एवं तथ्यों से उसमें स्वामित्व के अधिकार का प्रश्न दृष्टिगोचर होता है तो उपजिलाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही रोक दी जायेगी और उसे आदेशित किया जायेगा कि वह उक्त तिथि के 3 माह के अन्तर्गत अपने अधिकारों की घोषणा हेतु धारा 114 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दें, तद्समय तक उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(6) यह कि उपधारा (5) के अन्तर्गत निर्धारित समय तक उक्त व्यक्ति सम्बन्धित वाद प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है अथवा उसका वाद निरस्त कर दिया जाता है

तो उसके विरूद्ध उपधारा (3) में दिये अनुसार कार्यवाही करने हेतु उपजिलाधिकारी द्वारा आदेशित कर दिया जायेगा।

(7) उपजिलाधिकारी द्वारा उपधारा (2) से (6) के अन्तर्गत किये गये आदेश के विरूद्ध व्यथित व्यक्ति जिला कलक्टर के समक्ष 30 दिवस के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(8) जिला कलेक्टर द्वारा उक्त अपील में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण: शब्द भूमि में उसमें स्थित वृक्ष व भवन भी शामिल हैं।

¬56. ग्राम सभा के व्यक्तियों का ग्राम सभा की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु कर्तव्य:

(1) भू-प्रबन्ध समिति अथवा स्थानीय निकाय के सदस्यों का ग्राम सभा की धारा 50 की उपधारा (1) से (3) तक प्राप्त सम्पत्तियों की सुरक्षा का संयुक्त व पृथक पूर्ण उत्तरदायित्व होगा, यदि जिला कलेक्टर के संज्ञान में आता है कि ग्राम सभा की सम्पत्ति की सुरक्षा में ग्राम सभा अथवा निकाय के सदस्य अक्षम रहे हैं, तो वह उनके विरूद्ध कार्यवाही सम्पन्न करने में पूर्णतः सक्षम होगा। इसमें क्षतिपूर्ति राशि वसूली अथवा दण्डात्मक कार्यवाही जिसमें निलंबन की कार्यवाही भी शामिल है करने हेतु पूर्णतः सक्षम व समर्थ होगा।

(2) यह कि जिला कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यथित सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा आयुक्त के समक्ष आदेश की तिथि के 30 दिन के अन्तर्गत

अपील प्रस्तुत कर सकते है; तथा इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा पारित निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

57.ग्राम निधि:

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि ग्राम निधि में जमा की जायेगी। परन्तु धारा 58 के अधीन प्राप्त क्षतियों या प्रतिकार की धनराशि को संचित ग्राम निधि में जमा किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली ग्राम

निधि इस धारा के अन्तर्गत गठित रहने वाली ग्राम निधि इस धारा के अन्तर्गत गठित की हुई समझी जायेगी।

(3) ग्राम निधि का संचालन ऐसी रीति और प्रयोजनों हेतु किया जायेगा जो कि निर्धारित किया गया हो।

58. संचित ग्राम निधि:

(1) प्रत्येक जिले के लिए एक संचित ग्राम निधि की स्थापना की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी।

(क) धारा 57 की उपधारा (1) के परंतुक में दी गई धनराशि।

(ख) उपधारा (2) के अनुसार कलेक्टर द्वारा प्राप्त अंशदान।

(ग) ऐसी अन्य राशि को निहित की जाये।

(2) जिले में प्रत्येक ग्राम सभा कलेक्टर को वार्षिक रूप में धारा 55 के अधीन गांव निधि में जमा की गयी कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये विहित रूप से भुगतान करेगा जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

(3) संचित ग्राम निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जायेगा और निम्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(क) धारा 61 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्ते यदि कोई हो उनका भुगतान।

(ख) इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अथवा उसके विरूद्ध वादों का संचालन और अभियोजन आवेदनों, या कार्यवाहियों के सम्बन्ध में व्यय का भुगतान।

(ग) सामूहिक उपयोग में भूमि के विकास में होने वाले व्यय का भुगतान।

(घ) राज्य सरकार साधारण व विशेष आदेश ऐसी निधि पर समुचित प्रभार के रूप में घोषित करें, उसका भुगतान।

(4) इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व संचित ग्राम निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जायेगा।

59. राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निर्देश:

(1) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु जो आदेश व निर्देश दिये जाने आवश्यक समझे जाये राज्य सरकार अथवा कलेक्टर द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति को ऐसे आदेश व निर्देश निर्गत किये जा सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आदेश व निर्देशों को तत्काल जारी किया जाने का उत्तरदायित्व भू-प्रबन्धक समिति पर आवश्यक रूप से होगा।

60. वैकल्पिक व्यवस्था:

यदि किसी समय कलेक्टर को समाधान हो जाता है कि:

(क) भूमि प्रबन्धक समिति इस अधिनियम द्वारा दिये गये कर्तव्यों का पालन करने अथवा निर्देशों का निर्वहन व निष्पादन करने में युक्तियुक्त कारण अथवा क्षमा याचना के बिना विफल हो गयी है।

(ख) भूमि प्रबन्धक समिति परिस्थितियों के कारण अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं रह गयी है।

(ग) उपधारा (क) व (ख) की परिस्थितियों में जिला कलेक्टर द्वारा उनके द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कृत्यों के निर्वहन हेतु नायब तहसीलदार अथवा उससे अधिक श्रेणी के अधिकारी को उक्त कार्य हेतु तदसमय तक कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जायेगा। ऐसी अवस्था में उसे वह पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे, जो कि उक्त समिति के पदाधिकारियों को प्राप्त रहे हैं तथा उक्त समिति को प्राप्त कर्तव्यों का भी वह उसी प्रकार निर्वहन करेगा वैसा कि उक्त समिति द्वारा किया जाना आवश्यक होता। हो, के समक्ष किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु सक्षम नहीं होगा।

61. शासकीय अधिवक्ता:

(1) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्बन्धों तथा शर्तों पर नियमानुसार ग्राम सभा के वादों के निस्तारण हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये जायेंगे, जो निम्न प्रकार से होंगे:

(क) उच्च न्यायालय हेतु: शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) जो कि उच्च न्यायालय में पैरवी हेतु नियुक्त किये जाये, जिनकी संख्या 1 से अधिक भी हो सकती है।

(ख) राजस्व परिषद: शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) जो कि राजस्व परिषद में पैरवी हेतु नियुक्त किये जाये जो कि खंडपीठ के आधार पर एक से अधिक भी हो सकते हैं।

(ग) जिला मुख्यालय: जिला मुख्यालय में (जिला व मंडलायुक्त के न्यायालय में)

(1) राजस्व वादों हेतु-शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)

(2) दीवानी वादों हेतु-शासकीय अधिवक्ता (सिविल)

(घ) तहसील स्तर पर: तहसील स्तर पर जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अथवा (सिविल) के अतिरिक्त सुविधानुसार कार्य के आधार पर एक व अधिकतम दो पैनल राजस्व अधिवक्ता नियुक्त किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- जो जिला मुख्यालय में नियुक्त किये गये, वह मंडलायुक्त न्यायालय तथा राजस्व परिषद हेतु भी अधिकृत समझे जायेंगे।

(2) धारा 61 के अनुसार धारा 53 की उपधारा (1) व (2) के अन्तर्गत आने वाले वादों हेतु नियुक्त विधि व्यवसायी किसी लिखित प्राधिकार के बिना किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भू-प्रबन्धक समिति की ओर से किसी न्यायालय अथवा जिसके निमित्त वह नियुक्त किया गया है, ये अभिवचन या कार्यवाही कर सकते हैं।

(3) कोई ग्राम सभा, पंचायत अथवा भू-प्रबन्धक समिति इस धारा के अधीन नियुक्त अधिवक्ता से भिन्न किसी भी विधी व्यवसायी को कलेक्टर की पूर्व आज्ञा के बिना नियुक्त नहीं कर सकेगी।

(4) न्यायालय फीस अधिनियम 1870 (अधिनियम सं0 7 सन् 1980) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त किसी विधि व्यवसायी द्वारा वकालतनामा या हाजिरी के ज्ञापन पर कोई न्यायालय फीस देय नहीं होगी।

(5) इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त विधि व्यवसायी किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति के विरूद्ध किसी ऐसे न्यायालय में जिसमें उसे नियुक्त किया गया

(6) जिला कलक्टर द्वारा उक्त अपील में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

62. ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व:

(1) धारा 61 में दिये क्रमानुसार नियुक्त शासकीय अधिवक्ता अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में ग्राम सभा का समुचित प्रतिनिधित्व भी करेंगे।

(2) इस अध्याय में कोई बाद राज्य सरकार या कलेक्टर को ऐसे वाद या कार्यवाही के संचालन हेतु जिसमें ग्राम सभा पक्षकार हो, ऐसे निबन्धन व शर्ताेंं में जैसा नियत किया जाये, विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने से निरूद्ध नहीं कर सकेंगी।

अध्याय -9

भौमिक अधिकार (ज्मदनतम)

63. खातेदारों का वर्गीेकरण:

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये खातेदारों के निम्न वर्ग हांेगे:-

(1) संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर

(2) विशेष श्रेणी के भूमिधर

(3) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर

(4) आसामी

64. संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर: निम्न वर्गों में वर्णित वह व्यक्ति जो कि धारा 65 व 66 के अन्तर्गत नहीं आता हो तथा उसे अपनी भूमि के अंतरण व उपभोग सम्बन्धी सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हों।

(क) जो व्यक्ति इस अधिनियम से के प्रारम्भ की तिथी से पूर्व से ही संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है।

(ख) जो कि इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर अथवा अन्य किसी तिथी के अन्तर्गत किसी अन्य रीती से इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात भूमिधर घोषित किया गया हो।

(ग) जो कि इस अधिनियम की धारा 66 (2) तथा धारा 114 के अंतर्गत संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार प्राप्त कर लें।

65. विशेष श्रेणी के भूमिधर: जो व्यक्ति उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम 1950) (अनूकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001) (संशोधन) अधिनियम 2003 की संशोधित धारा 129 ख के अनुसार निम्न प्रकार भूमिधर हुए।

(क) जो व्यक्ति उत्तराखण्ड का मूल अथवा स्थायी निवासी न हो यदि हो तो उसके परिवार के पास उत्तराखण्ड में कोई आवासीय भवन या कृषि भूमि न हो उसके

द्वारा उत्तरांचल अधिनियम सं0 29 वर्ष 2003 के अनुसार 500 वर्ग मीटर तथा पुनः संशोधित उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 1 वर्ष 2007 के अनुसार 250 वर्गमीटर।

(ख) कोई व्यक्ति, सोसायटी अथवा निगमित निकाय जिसके द्वारा उत्तराखण्ड में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्योगिक से भिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि क्रय की हो।

(ग) उत्तराखण्ड से बाहर का कोई व्यक्ति या सोसाइटी अथवा कम्पनी जिसने जनपद के कलक्टर की पूर्व अनुमति से कृषि अथवा औद्योगिक से संबंधित कार्य हेतु भूमि क्रय की हो।

(घ) तथा इस अधिनियम की धारा 77 (1) व (3) में वर्णित व्यक्ति, उपरोक्त सभी विशेष श्रेणी के भूमिधर कहलायेंगें।

66. असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर:

(1) निम्न वर्गों के अन्तर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे भूमि के संक्रमणीय अधिकार प्राप्त न हों असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर कहलायेगा जो कि निम्न प्रकार से हैः-

(क) इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व से जो असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो।

(ख) वह व्यक्ति जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आर्जित भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार प्राप्त हों।

(ग) वह ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात किसी भी अन्य प्रकार से संक्रमणीय अधिकार रहित भूमि के उपयोग व उपभोग के अधिकार प्राप्त हों।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो और पन्द्रह वर्ष की अवधि तक ऐसा भूमिधर रहा हो, उक्त अवधि समाप्ति के उपरान्त सक्रमंणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो जायेगा।

67. आसामी:

(1) निम्न प्रकार से अधिकार प्राप्त व्यक्ति आसामी कहलायेगा।

(क) इस अधिनियम के लागू होने के समय से जो व्यक्ति आसामी रहा हो।

(ख) जिस व्यक्ति को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा धारा 68 (1) में वर्णित भूमि केवल कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दी गई हो।

(ग) जो व्यक्ति किसी अन्य प्रकार से किसी भी भूमि का इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात आसामी घोषित किया जाये।

(2) आसामी वर्ग वाले व्यक्ति को भूमि के केवल उपयोग व उपभोग के केवल उस प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे, जैसा कि नियत किये गये हैं तथा उसका उक्त भूमि पर कब्जा केवल वर्षानुवर्षी आधार पर निश्चित किया जाता है।

68. भूमि जिस पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं:

(1) निम्न प्रकार की भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

(क) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोग या अन्य लोकोपयोगी कार्य हेतु सुरक्षित रखा गया हो जो निम्न प्रकार की है:-

(अ) सार्वजनिक मेलों (थौल), पशुचर, शमशानघाट, कब्रिस्तान आदि में प्रयुक्त भूमि

(ब) नदी, तालाब, पोखर, झरनों,ं सार्वजनिक गूलों आदि की भूमि तथा उससे संलग्न भूमि।

(2) अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित निर्दिष्ट करें।

(क) सैन्य शिविर हेतु सुरक्षित भूमि।

(ख) रेलवे लाईन तथा नहर की पटरियों की भूमि।

(ग) भूमि जो स्थानीय प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा अपने विशेष कार्य हेतु सुरक्षित रखी हो।

(घ) भूमि जो उ0 प्र0 चकबंदी अधिनियम के अनुसार चक रोड आदि में छोडी गई हो।

(ड़) भूमि जो सार्वजनिक कार्यों तथा उपभोग हेतु सुरक्षित की गई हो।

(2) धारा 65 (ख) व (ग) व 67 के अंतर्गत अधिकारयुक्त व्यक्ति यदि उन प्रयोजनों जिन प्रयोजनों हेतु उनके द्वारा भूमि धारित की गई हो से भिन्न उक्त भूमि का प्रयोग करते हैं तो उनके अधिकार उक्त भूमि से समाप्त समझे जायेंगें तथा उक्त भूमि से उनके हित समाप्त होने की दशा में बेदखली के योग्य समझे जायेंगें तथा उक्त भूमि सभी प्रकार के भार, बंधन आदि से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझी जायेगी।

अध्याय-10

भूमि का उपयोग तथा उन्नति

69. भूमिधरों व आसामी का अपने खाते की सम्पूर्ण भूमि पर एंकातिक कब्जे का अधिकार:

(1) संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर को अपनी भूमि का जिसका वह भूमिधर है, एंकातिक कब्जे तथा

अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल किसी बात के न होते हुए किसी भी प्रयोजन हेतु उपयोग का पूर्ण अधिकार होगा।

(2) विशेष श्रेणी के भूमिधरों को अपनी भूमि का जिस प्रयोजन हेतु उनके द्वारा उक्त भूमि अर्जित की के उद्देश्य से प्रयोग करने तथा कब्जे का एकान्तिक व पूर्ण अधिकार होगा।

(3) असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर को इस अधिनियम में वर्णित उपबन्धों के अनुकूल ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह भूमिधर है एकान्तिक कब्जे तथा उसे कृषि व कृषि प्रयोजनार्थ उद्योगों हेतु प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(4) इस अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत रहते हुए आसामी को अपने खाते की सम्पूर्ण भूमि का कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों में प्रयोग हेतु अधिकार होगा।

70. अकृषय प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग:

(1) जब कोई संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा अपनी भूमि का कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योगों से भिन्न आवासीय अथवा आवासीय संबद्ध कार्यों हेतु प्रयोग करता है तो उप जिलाधिकारी स्वयंमेव अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर जांच के उपरांत उसके द्वारा इस आशय की घोषणा की जा सकती है कि संबंधित भूमि कृषि अथवा कृषि से असंबद्ध कार्यों हेतु प्रयोग में लाई जा रही है।

(2) उपधारा (1) के अधीन की जाने वाली घोषणा के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन तथा खसरा नम्बरान क्षेत्रफल आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन उपजिलाधिकारी द्वारा तदविषयक कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी। यदि जांच उपरांत उसे समाधान हो जाय किः

(क) उक्त घोषणा कपटपूर्वक कृषि भूमि को आवासीय भूमि मंे अन्तरित किये जाने हेतु प्राप्त की जा रही है।

(ख) उक्त घोषणा से सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सुखाधिकार आदि सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) उक्त घोषणा के उपरांत भूमि का प्रयोग उस प्रयोजन हेतु किया जाना संभावित है जिससे सार्वजनिक उत्पात होने की संभावना प्रबल हो

(4) उपधारा (1) व (2) के अंतर्गत उपजिलाधिकारी द्वारा की गई घोषणा के फलस्वरूप

(क) उक्त चिन्हित व घोषित भूमि पर इस अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगें।

(ख) उक्त भूमि का उत्तराधिकार व्यक्तिगत विधि जिसके अंतर्गत शासित होगा के अनुसार नियत होगा।

(ग) उक्त भूमि के आधार पर प्राप्त ऋण आदि भी इस अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत देय न होकर व्यक्तिगत विधी द्वारा शासित प्रणाली के अनुसार लागू होंगें।

(घ) उक्त भूमि भू-राजस्व से मुक्त समझी जायेगी।

71. घोषणा का रद्द किया जाना:

(1) जब किसी ऐसी भूमि या उसके भाग जिसके संबंध में धारा 70 के अन्तर्गत घोषणा की गई है, उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा अथवा
किसी व्यक्ति के आवेदन पर जांच के उपरांत निम्न सन्तुष्टि होने पर रद्द कर सकता है।

(क) उक्त भूमि आवासीय अथवा आवासीय संबद्ध कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाई जा रही है।

(ख) उक्त घोषणा के पश्चात समय व परिस्थितिवश संबंधित आवासीय उपयोग में लाने योग्य नहीं रह गई है।

(2) उक्त घोषणा के रद्द होने के पश्चात जिन परिस्थितियों में उसे रद्द किया जाये उनका कारण स्प्ष्ट रूप से उपजिलाधिकारी द्वारा अंकित किया जायेगा।

(3) घोषणा के रद्द होने पर संबंधित भूमि निम्न प्रकार प्रभावित होगी।

(क) उक्त भूमि पर इस अधिनियम के प्राविधान लागू हो जायेंगें।

(ख) उप जिलाधिकारी द्वारा उस पर पुनः भू-राजस्व निश्चित किया जायेगा।

(ग) उक्त भूमि पर लिये गये ऋण की बकाया वसूली इस अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राविधानों के तहत की जायेगी।

72. विनिमय:

(1) उपजिलाधिकारी की लिखित पूर्वानुमानित से कोई भी भूमिधर अपनी भूमि का विनिमय।

(क) अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से

(ख) धारा 50 के अंतर्गत किसी ग्राम सभा या स्थानीय निकाय को सौंपी गई भूमि से कर सकता है।

(2) उपजिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन निम्न दशाओं में अनुमति देने से मना कर सकता है।

(क) ऐसे विनिमय से प्रतीत होता है कि उक्त विनिमय यथोचित सुविधा की उपलब्धता में सक्षम नहीं है।

(ख) विनिमय में दी गई भूमि और प्राप्त भूमि के मूल्यांकनो के मध्य का अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो जाता है

स्पष्टीकरणः- मूल्यांकन में जहां कलक्टर द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची उपलब्ध है उन क्षेत्रों मे उक्त सूची के अनुसार तथा जहां उपलब्ध नहीं है वहां वार्षिक लगान के आधार पर मूल्यांकन निश्चित किया जायेगा।

(ग) विनिमय में प्राप्त और देय भूमि के क्षेत्रफल में पच्चीस प्रतिशत से अधिक अन्तर न हो।

(घ) उपधारा (1) के खंड (ख) में दी गई भूमि के मामले में उक्त भूमि यदि विशेष प्रयोजन हेतु आरक्षित नहीं है, उससे कोई सार्वजनिक सुखाधिकार अथवा अन्य ऐसे

क्षेत्र जिससे ग्राम सभा के हित प्रभावित होने की संभावना अथवा भूमिधरी अधिकार प्राप्त न हो सकते हो।

(ड.) यदि विनिमय की जाने वाली भूमि एक ही तहसील के अंतर्गत एक ही राजस्व ग्राम की भूमि न हो।

(च) विनिमय की जाने वाली भूमि सहखातेदारों की भूमि हो।

(3) विनिमय के परिणाम के आधार पर:

(क) विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त भूमि में वही अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि दी गयी भूमि में उनके पास थे।

(ख) उपजिलाधिकारी द्वारा तद्नुसार अधिकार अभिलेखों (खतौनी) में संशोधन किये जाने के आदेश देगा।

(ग) विनिमय की गयी भूमि के लिए निर्धारित देय या देय समझी जाने वाली भू-राजस्व की राशि इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

73. विनियमितिकरण:

(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उसी ग्राम का स्थायी निवासी हो परन्तु उसके पास अपने आवासीय भवन हेतु कोई निजी भूमि न हो तथा उसके द्वारा धारा 50(2) के अन्तर्गत आने वाली सार्वजनिक भूमि तथा किसी की भी व्यक्तिगत भूमि से भिन्न भूमि पर पन्द्रह वर्षो से अधिक समय से आवास का निर्माण करके उसका निरन्तर प्रयोग करते आ रहा हो तो उस भूमि का विनियमितिकरण ग्राम समाज द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उसके ही पक्ष में अनिवार्य रूप से कर दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में भू-प्रबन्धक समिति को लिखित आवेदन किया जाना आवश्यक होगा, तथा उक्त सम्बन्धित प्रस्ताव का अनुमोदन उपजिलाधिकारी द्वारा किया जाना भी आवश्यक होगा।

74. परित्याग:

(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी भूमि किसी ग्राम में स्थित हो तथा पन्द्रह वर्षो से अधिक समयावधि से उसके द्वारा उपयोग न किया जा रहा हो, तथा सभी प्रकार के सूत्रों से उसका कोई पता नहीं चल रहा हो, ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को लापता मानते हुए उसकी भूमि सभी प्रकार के भार बन्धनों से मुक्त ग्राम सभा में निहित समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) की स्थिति में लेखपाल द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार को सूचना देने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा जांच के उपरान्त सन्तुष्ट होने पर ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) यदि उपधारा (1) व (2) से व्यथित व्यक्ति लेखपाल की रिपोर्ट के विरूद्ध अपने लापता न होने को सिद्ध कर देता है तो तहसीलदार द्वारा उक्त दिया गया आदेश निरस्त किया जा सकता है।

अध्याय 11

अन्तरण तथा संक्रमण

75. भूमिधर द्वारा संक्रमण पर प्रतिबन्ध:

(1) उपधारा (2) में दी गयी व्यवस्था के अलावा किसी भी भूमिधर को चाय बागान से भिन्न कोई भी भूमि किसी भी व्यक्ति से विक्रय, दान अथवा किसी प्रकार संक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा यदि उक्त व्यक्ति तथा उसके परिवार के पास उक्त संक्रमित भूमि मिलाकर उत्तराखण्ड में 5.0586 हैक्टेयर (12.50 एकड़) से अधिक हो जाती है।

स्पष्टीकरण: व्यक्ति का आशय इस धारा के अन्तर्गत, सहकारी समिति, धार्मिक अथवा चैरिटेबल संस्था, कम्पनी तथा कृषि उद्योग पर आधारित संस्थान भी हैं।

(2) यह कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (1) में नियत सीमा से अधिक संक्रमण हेतु स्पष्टीकरण में दिये संस्थानों को अनुमति दे सकती है, यदि उसे इसका समुचित समाधान हो जाये कि उक्त संक्रमण जनहित विरोधी न होकर जन कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है।

76. विदेशी नागरिक भूमि अर्जित नहीं कर सकेंगे:

(1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी विदेशी नागरिक राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय,दान अथवा किसी भी अन्य प्रकार से कोई भूमि अर्जित नहीं कर सकेगा।

(2) किसी भूमिधर को उपधारा (1)का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि के विक्रय का अधिकार नहीं होगा तथा उक्त संक्रमण शून्य होगा।

77. उत्तराखण्ड के स्थायी अथवा मूल निवासियों से भिन्न व्यक्ति द्वारा संक्रमण:

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से भले ही वह धारा 63 के अन्तर्गत खातेदार या उत्तराखण्ड में अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अपने अथवा अपने परिवार के लिए 300 वर्ग मीटर अधिकतम तक भूमि क्रय कर सकता है।

(2) उत्तराखण्ड से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पारिवारिक सदस्य उत्तराखण्ड में धारा 63 के अन्तर्गत खातेदार अथवा अचल सम्पत्ति, आवासीय भवन का स्वामी है, उत्तराखण्ड में बिना किसी अनुज्ञा के भूमि क्रय कर सकता है।

स्पष्टीकरण:पारिवारिक सदस्य का आशय पति-पत्नी, नाबालिग सन्तान, विवाहित पुत्र व अविवाहिता पुत्री तथा आश्रित माता-पिता से है।

(3) उत्तराखण्ड से बाहर के किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना निम्न कार्यो हेतु भूमि क्रय नहीं की जा सकेगी।

(क) चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति बिना।

(ख) किसी होटल, अतिथि गृह, भोजनालय, मद्यशाला,रिसोर्ट तथा अप्पूघर आदि हेतु पर्यटन विभाग की संस्तुति के बिना।

(ग) शिक्षा संस्थान हेतु शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना।

(घ) सांस्कृतिक, कला तथा पूर्त प्रयोजन हेतु सांस्कृतिक कला तथा पूर्त विभाग की संस्तुति के बिना।

(ड.) कृषि, कृषि आधारित उद्योग, उद्यान, फार्म हाउस हेतु कृषि अथवा उद्यान विभाग की संस्तुति पर। उपरोक्त आश्य हेतु प्राप्त अनुमति से पृथक भूमि के प्रयोग किये जाने की दशा में इस अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन समझा जायेगा।

78. भूमिधर द्वारा टुकड़ों में अन्तरण:

(क) यदि कोई संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर अपनी भूमि को एकमुश्त विक्रय करने के बजाय एक वर्ष के अन्तराल मे 1,000 (एक हजार) वर्ग मीटर से अधिक भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करके विक्रय करता है, तो उसके द्वारा उक्त 1,000 (एक हजार) वर्ग मीटर से अधिक किया गया अन्तरण शून्य होगा।

(ख) टुकड़ों के अन्तरण में 1,000 (एक हजार) वर्ग मीटर की गणना में उक्त भू-भाग को भी शामिल समझा जायेगा जो कि सुखाधिकार के रूप में रास्ते हेतु प्रयोग में लाने हेतु छोड़ा गया है।

79. सहखातेदारी की भूमि का किसी खातेदार द्वारा अन्तरण:

(क) सहखातेदारी भूमि का कोई भी सहखातेदार बिना अन्य सहखातेदारों की लिखित सहमति अथवा बिना विधिवत् अपना अंश सहखातेदारी भूमि से पृथक कराये सहखातेदारों से भिन्न किसी भी व्यक्ति को कोई भी भाग विक्रय नहीं कर सकेगा।

(ख) सहखातेदार द्वारा उपधारा (क) के विपरीत किया गया अन्तरण शून्य होगा।

80. मुख्तारनामे द्वारा अन्तरण:

(क) किसी भी भूमिधर द्वारा दिये गये मुख्तारनामे के आधार पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मुख्तारनामा दाता के वंशानुक्रम में धारा 87 के अन्तर्गत नहीं आता है अथवा वह मुख्तारनामा दाता का सहखातेदार नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पक्ष में उक्त मुख्तारनामादाता की भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर सकेगा।

(ख) भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 32 व 33 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थाओं के विपरीत मुख्तारनामा दाता द्वारा यदि मुख्तारनामा दिया गया हो ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में मुख्तारनामा दिया गया है विक्रय पत्र निष्पादन हेतु सक्षम नहीं होगा।

81. बंधक द्वारा अन्तरण:

(क) कोई भी भूमिधर धारा 4(4) के अन्तर्गत दिये गये बैंक से ऋण प्राप्त करके अपनी भूमि बन्धक रख सकता है, इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था के पक्ष में कोई भी भूमिधर अपनी भूमि बन्धक नहीं रख सकेगा और बन्धक के आधार पर कोई भी कब्जा नहीं देगा।

(ख) किसी भी भूमिधर द्वारा अपनी भूमि यदि किसी व्यक्ति से धनराशि प्राप्त करके उसके उपयोग हेतु उसका कब्जा उसे दे दिया हो तो यह भी उक्त भूमिधर द्वारा बन्धक किया गया माना जायेगा तथा उपधारा (क) के प्राविधान उस पर भी लागू होंगे।

82. पट्टे द्वारा अन्तरण:

(क) केवल निशक्त व्यक्तियों के अलावा कोई भी भूमिधर अपनी भूमि पट्टे द्वारा किसी भी व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।

(ख) उपधारा (क) में दी गयी व्यवस्था के विपरीत यदि कोई भी भूमिधर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पट्टा अंकित करता है तो पट्टा ग्रहिता उक्त भूमि का असंक्रमणीय भूमिधर हो जायेगा, ऐसी अवस्था में उस पर धारा 75(1) के प्राविधान लागू माने जायेंगे।

(ग) उपधारा (1) में दिये गये निशक्त व्यक्तियों से सम्बोधित व्यक्ति निम्न प्रकार के होंगे:

(1) विवाहिता अथवा अविवाहिता स्त्री

(2) अव्यस्क भूमिधर

(3) शारीरिक क्षमता से क्षीण विकलांग व्यक्ति

(4) वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति।

83. अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अन्तरण: अनुसूचित जाति का व्यक्ति विक्रय की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपनी भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकेगा।

84. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अन्तरण: अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, विक्रय की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपनी भूमि अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी भी व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकेगा।

84 (क) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा पट्टे द्वारा भूमि का अन्तरण: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा केवल 82(ग) में दी गयी अवस्था के व्यक्ति अलावा किसी भी अन्य को अपनी भूमि पट्टे पर देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा।

85. अननुकूल अन्तरण तथा संक्रमण के परिणाम:

(1) इस अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के विपरीत किये गये सभी अन्तरण व संक्रमण शून्य समझे जायेंगे तथा उक्त अन्तरित व संक्रमित
भूमि सभी भार-बन्धनों से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझी जायेगी।
(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित की जाने वाली भूमि से प्रभावित व्यक्तियों को सम्बन्धित निहित किये जाने से पूर्व अपना पक्ष उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जायेगा तथा आदेश से व्यथित व्यक्ति धारा 114 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत करने में सक्षम रहेगा।

अध्याय 12

उत्तराधिकार

86. इच्छा पत्र (वसीयत):

(1) प्रत्येक भूमिधर धारा 87 के अन्तर्गत आने वाले वंशानुक्रम के किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अपनी भूमि के सम्बन्ध में इच्छा पत्र निष्पादित कर सकता है।
(2) प्रत्येक इच्छा पत्र दो व्यक्तियों के समक्ष निष्पादित किया गया होना तथा उसमें साक्षी के रूप में उन दोनों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।
(3) प्रत्येक इच्छा पत्र निबन्धन कार्यालय द्वारा पंजीकृत होना चाहिए, (परन्तु उत्तराखण्ड के सुदूर क्षेत्रों में जहां आवागमन कठिन है, उन क्षेत्रों में इच्छा पत्र का पंजीकृत चिकित्सक या तहसीलदार तथा उससे उच्चपदस्थ अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत समिति के किसी भी सदस्य के समक्ष निष्पादित तथा उसके द्वारा सत्यापित कियाजाना आवश्यक है।)

87. उत्तराधिकार का सामान्य क्रम:

(अ) देहरादून जनपद के परगना जौनसार बाबर को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में पुरूष व स्त्री भूमिधर व आसामी के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम निम्न प्रकार होगा।

(ब) पुरूष भूमिधर या आसामी के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम:

(1) धारा 86 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जब कोई पुरूष भूमिधर या आसामी की मृत्यु हो जाय तो उसकी भूमि में उसका स्वत्व निम्न सिद्धान्तों के अनुसार उपधारा (2) में वर्णित उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा अर्थात्

(एक) उपधारा (2) के किसी खण्ड में वर्णित उत्तराधिकारी समान अंशों में प्राप्त करेंगे।

(दो) उपधारा (2) के पूर्ववर्ती खण्ड में वर्णित उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती खण्डों में वर्णित सभी उत्तराधिकारीगण को वर्जित करेंगे, तदनुसार खण्ड (क) के उत्तराधिकारीगण को खण्ड (ख) के उत्तराधिकारीगण पर अधिमान दिया जायेगा, इसी प्रकार खण्ड (ख) के

उत्तराधिकारीगण को खण्ड (ग) के उत्तराधिकारीगण पर अधिमान दिया जायेगा इसी प्रकार उत्तरवर्ती तक यह क्रम रहेगा।

(तीन)यदि किसी भूमिधर या आसामी या किसी पूर्व मृत पुंजातीय वंशज की, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, एक से अधिक विधवायें हो, तो ऐसी सभी विधवाओं को मिलाकर एक अंश प्राप्त होगा।

(चार)विधवायें या विधवा मां या पिता की विधवा मां या किसी पूर्व मृत पुंजातीय वंशज की यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, विधवा केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त करेगी, यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो।

(2) किसी पुरूष भूमिधर या आसामी के निम्नलिखित रिश्तेदार उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्न क्रम में उत्तराधिकारी हैंः

(क) विधवा और पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार, प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और उस पुत्र की चाहे जितनी नीचे पीढ़ी में हो, को प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता तो मिलता।

(ख) माता और पिता

(ग) अविवाहिता पुत्री

(घ) विवाहिता पुत्री

(ड.) भाई और अविवाहित बहिन, जो क्रमशः एक ही मृत पिता के पुत्र और पुत्री हो और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी पिता का पुत्र हो जिसका मृतक पुत्र था।

(च) पुत्र की पुत्री

(छ) पितामही और पितामह

(ज) पुत्री का पुत्र

(झ) विवाहिता बहिन

(ञ) सौतेली बहन, जो उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था।

(ट) बहिन का पुत्र

(ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जब सौतेली बहन उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृतक पुत्र था।

(ड) भाई के पुत्र का पुत्र

(ढ) पितामह का पौत्र

(ण) नानी का पुत्र

(स) स्त्री भूमिधर या आसामी के उत्तराधिकार
का सामान्य क्रम:

(1) विवाहिता स्त्री द्वारा अर्जित भूमि में उत्तराधिकार का सामान्य क्रम उसके द्वारा अर्जित किये जाने के आधार के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

(क) स्व अर्जित भूमि के सम्बन्ध में: उपधारा (ब) के (2)(क) में विधवा के स्थान 'पति' शब्द समझते हुए धारा 87(ब) में दिये अनुसार।

(ख) पति द्वारा विरासत में प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में: धारा 87(ब) के अनुसार पति के पुंजातीय वंशजों में

(ग) पिता अथवा माता द्वारा विरासत से प्राप्त के सम्बन्ध में: धारा 87(ब)(2) के अनुसार निज वंशज न होने पर पिता अथवा माता के निजी वंशजों में क्रमानुसार।

(2) अविवाहिता स्त्री द्वारा स्वअर्जित अथवा विरासत द्वारा प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 87(ब) में दिये क्रमानुसार पिता अथवा माता के पुंजातीय वंशजों को प्राप्त होगी।

(द) देहरादून जनपद के परगना जौनसार बाबर में उत्तराधिकार का सामान्य क्रम उनके रूढ़ीगत आधार पर चले आ रहे क्रमानुसार होगा तथा परगना जौनसार बाबर के सम्बन्ध में उपधारा (ब) और (स) के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

88. उत्तरजीविता द्वारा स्वत्व का संक्रमण: यदि कोई पुरूष व स्त्री भूमिधर या आसामी इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कोई उत्तराधिकारी छोडे बिना मर जाय तो ऐसे खाते में उसका स्वत्व उत्तरजीवित के नियम के अनुसार निर्गत होगा।

89.भारतीय मूल व भारतीय नागरिकता से भिन्न व्यक्ति तथा हत्याराव्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं कर सकेंगे:

भारतीय मूल व भारतीय नागरिकता से भिन्न व्यक्ति तथा वह व्यक्ति जिस के द्वारा उस व्यक्ति की हत्या की गयी है जिससे से विरासत प्राप्त होनी है। धारा 86 से 88 तक दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार उत्तराधिकार प्राप्ति के अयोग्य समझे जायेंगे।

90.ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु: जहां किसी भूमिधर या आसामी की धारा 86 से 88 तक दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार बिना उत्तराधिकारी छोडे मृत्यु हो जाती है, तो जांच के उपरान्त उप जिलाधिकारी द्वारा उसे राज्य की सम्पत्ति घोषित करते हुए उसका राज्य सरकार की तरफ से कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा तथा वह भूमि सभी भार बन्धनों से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझी जायेगी।

अध्याय 13
विभाजन

91. भूमिधरी खाते का विभाजन योग्य होना:

(1) प्रत्येक संयुक्त खाते का सहखातेदार भूमिधर अपने अंश के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(2)प्रत्येक विभाजन वाद में सम्बन्धित ग्राम सभा को पक्षकार बनाया जायेगा।

92. एक से अधिक खातों का विभाजन:

(1)प्रत्येक संयुक्त खाते का सहखाते के भूमिधर यदि वह एक से अधिक खातों में समस्त खातेदारों के साथ सहखातेदार हैं, वह खाते चाहे पृथक-पृथक ग्रामों में विद्यमान हैं, एक ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2)उपधारा (1) की दशा में प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार बनायी जायेगी।

93.अंशधारक के एकल अंश का विभाजन:

(1)यदि किसी अंशधारक सहखातेदार द्वारा धारा 92 अथवा 93 के अन्तर्गत अपने अंश के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है तो असिस्टैन्ट कलैक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा उक्त अंश धारक के अंश को अन्य सहखातेदारों की इच्छा के विपरीत भी उसके एकल अंश को विभाजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(2)यह कि उपधारा (1) की अवस्था में खातेदार अंश विभाजित करने से पूर्व अंश धारक का अंश निश्चित करने के उपरान्त उसके मौके पर कब्जे के आधार पर अंश का निर्धारण किया जायेगा।

(3)आपसी समझौते के अनुसार यदि कोई पूर्व विभाजन हो रखा है, तो उसके आधार पर अथवा आपसी सहमति के आधार पर भी विभाजन किया जा सकेगा।

94.सहखातेदार को पूर्व क्रयाधिकार का अधिकार:

(1) सहखातेदारी भूमि में सहखातेदारों को एक दूसरे के अंश को क्रय करने का पूर्व क्रयाधिकार होगा।

(2)पूर्व क्रयाधिकार में चालू बाजारी मूल्य से कम मूल्यांकन पर विक्रेता सहखातेदार को अपना अंश क्रेता सहखातेदार को विक्रय करने से मना करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अध्याय 14

ग्राम सभा की भूमि

95. ग्राम सभा की भूमि का आबंटन:

धारा 74, 85 तथा 90 अथवा अन्य उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार मंे निहित भूमि, जो राज्य सरकार द्वारा प्रबन्धन, आदि के लिए ग्राम सभा को समर्पित की गयी हो, भूमि प्रबन्धक समिति

द्वारा उसका सम्पूर्ण प्रबन्धन आदि का अधिकार होगा तथा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा निम्न कार्यो हेतु उपयोग में लाई जा सकती है।

(1) सम्बन्धित ग्राम समाज के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को कृषि कार्य हेतु आबंटन के लिए:

(क) आबंटन की पात्रता का क्रम इस अधिनियम की धारा 54(3) के अनुसार ही होगा।

(2) सम्बन्धित ग्राम सभा में विकास कार्य हेतु: सम्बन्धित ग्राम सभा में विकास हेतु निम्न प्रकार के कार्य समझे जायेंगे:

(क) पाठशाला व खेल के मैदान

(ख) चिकित्सालय (मनुष्य तथा पशु)

(ग) सार्वजनिक शौचालय

(घ) पंचायती घर व सभा स्थल

(ड.) कृषि सम्बन्धी कुटीर उद्योग

96. उपजिलाधिकारी द्वारा आबंटन का अनुमोदन: भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा धारा 95(1)(2) द्वारा आबंटित की गयी भूमि का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उपजिलाधिकारी को प्रेषित होगा तथा उपजिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ही उक्त आबंटन सम्बन्धी प्रस्ताव मान्य होगा।

97.आबंटी को कब्जा दिलाया जाना:

आबंटी के आवेदन पर यदि उसे आबंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका है, उपजिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार अथवा उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा आबंटित भूमि पर स्थित अवैध कब्जेदार को बेदखल करके आबंटित भूमि का कब्जा दिलाया जायेगा। इसके लिए उक्त अधिकारी को बल प्रयोग का भी अधिकार होगा।

98. आबंटन से क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन:

(1) आबंटन से क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा जिला कलैक्टर के समक्ष उक्त आबंटन को निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

(2) आवेदन प्राप्ति के पश्चात् जिला कलैक्टर द्वारा आबंटी तथा सम्बन्धित ग्राम सभा को उक्त आवेदन के विरूद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तिथि नियत करते हुए सूचना प्रेषित की जायेगी जो कि किसी भी दशा में 30 दिवस से कम नहीं होगी।

(3) जिला कलैक्टर द्वारा जांच कराये जाने तथा क्षुब्ध पक्षकार व आबंटी तथा ग्राम सभा के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के उपरान्त जिला कलैक्टर इस निर्णय में आता है कि सम्बन्धित आबंटन अनियमित अथवा प्राविधानों के प्रतिकूल किया गया है उसे रद्द करने के आदेश कर सकता है तथा यदि उसे उसमें कोई अनियमितता तथा प्राविधानों की उपेक्षा नहीं प्रतीत होती है, तो क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन उसके द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

99. जिला कलैक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही:

(1) यदि जिला कलैक्टर को किसी भी सूत्र से यह ज्ञात होता है कि आबंटन प्रक्रिया के दुरूपयोग करते हुए अपात्र व्यक्तियों के पक्ष में
आबंटन किया गया है तो जिला कलैक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से आबंटी तथा भू-प्रबन्धक समिति के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आबंटन निरस्त किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) की अवस्था में आबंटी तथा भू-प्रबन्धक समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से दण्डित किये जाने से क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी होंगे तथा उक्त क्षतिपूर्ति उनके विरूद्ध भू-राजस्व के अनुसार वसूली योग्य होगी।

100. शास्ती: इस धारा के अनुसार ग्राम सभा की सम्पत्ति के दुरूपयोग के विरूद्ध धारा 55 के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा सकेगी।

अध्याय - 15
सरकार की सम्पत्ति

101. सरकारी भूमि का पट्टेदार: प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ग्राम सभा का (स्थानीय निकाय की भूमि से पृथक) सरकार की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये पट्टे के आधार पर अध्यासी है, चाहे वह पट्टा इस अधिनियम के लागू होने अथवा तद्पश्चात् दिया गया हो वह व्यक्ति सरकारी भूमि का पट्टेदार कहलायेगा।

102. सरकारी भूमि के पट्टेदार को भूमि के अधिकार: इस अधिनियम में दिये गये प्राविधानों या अन्य किसी विधि को, जो समयानुसार लागू की जाय के अलावा उक्त पट्टे में दी गयी शर्तो के आधार पर उक्त भूमि के प्रयोग का तद्नुसार अधिकार होगा।

103. सरकारी भूमि के पट्टेदार की बेदखली:
सरकारी भूमि के पट्टेदार की निम्न कारणों से बेदखली हो सकती है।

(क) सरकारी पट्टा स्वीकृति के समय जो किराया राशि नियत की गयी हो सरकारी भूमि का पट्टेदार उसे लगातार तीन किश्तों तक अदा करने में असमर्थ रहा हो।

(ख)सरकारी पट्टेदार द्वारा पट्टे की भूमि को अनुबन्ध में किये गये प्रयोग के विपरीत प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ग) सरकारी पट्टे की समयावधि समाप्त हो गयी है।

(घ) सरकारी भूमि के पट्टेदार द्वारा उसमें दी गयी शर्तों में फेर बदल कर दिया हो।

104. सरकारी पट्टे की भूमि से निष्कासन: सरकारी भूमि के सम्बन्ध में दिये गये पट्टे से निष्कासन हेतु पट्टेदार के विरूद्ध उत्तर प्रदेश पब्लिक प्रिमसेज (एविक्सन आॅफ अनआथराइज ओक्यूपेंट) 1972 के प्राविधान स्वयंमेव लागू समझे जायेंगे तथा उपजिलाधिकारी
(असिस्टैन्ट कलैक्टर प्रथम श्रेणी) इस आश्य हेतु नियत प्राधिकारी होगा।

105. धारा 103 के अनुपालन में धारा 109 के प्राविधान सरकारी भूमि के पट्टेदार पर लागू होना:

इस अधिनियम की धारा 109, सरकारी भूमि के पट्टेदार पर भी निम्न परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू समझे जायेंगे जिस प्रकार इस अधिनियम में भूमिधर व आसामी पर लागू होते हैं जो कि निम्न प्रकार से होंगे।

(क)गांव सभा या स्थानीय निकाय इसमें आवश्यक
पक्षकार नहीं बनायी जायेगी।

(ख)यदि समयावधी के अन्तर्गत सरकार द्वारा कोई भी वाद उक्त सरकारी भूमि के पट्टेदार के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में योजित नहीं किया है, तथा यदि योजित किया भी गया है तो उसमें प्राप्त डिक्री का समयावधि के अन्तर्गत निष्पादन नहीं कराया गया है तो सरकारी भूमि का उक्त पट्टेदार पूर्ववर्ती शर्तो के आधार पर उक्त भूमि का पट्टेदार बना रहेगा।

106. सरकारी भूमि के पट्टेदार से वसूली: सरकारी भूमि के पट्टेदार द्वारा देय राशि की वसूली उससे भू-राजस्व की वसूली के अनुसार वसूल की जायेगी।

अध्याय 16
बेदखली

107. भू-धारक की सामान्यतः बेदखली नहीं हो सकती: कोई भी भूमिधर केवल इस अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अलावा अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

108. आसामी की बेदखली:

(1) इस अधिनियम में दिये गये प्राविधानों को बिना प्रभावित करते हुए ग्राम सभा अथवा भूमिधर द्वारा आसामी के विरूद्ध लाये गये वाद के आधार पर आसामी, सम्बन्धित भूमि से बेदखल किया जा सकेगा।

(2)उपधारा (1) के आधार पर आसामी के विरूद्ध बेदखली हेतु निम्न आधार पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

(क) आसामी द्वारा भूमिधर से प्राप्त भूमि पर आसामी का हित समाप्त हो गया है।

(ख) यदि आसामी द्वारा वर्षानुवर्षी जोत हेतु शर्तो के आधार पर भूमिधर से प्राप्त करने के उपरान्त उसके समाप्ति के उपरान्त वर्ष की समाप्ति पर उसे बढ़ाया न गया हो।

(ग) यदि आसामी को भूमिधर द्वारा अपने यहां कार्य करने के एवज में जोत हेतु दिया गया है तथा उक्त आसामी द्वारा भूमिधर के यहां काम करना समाप्त हो गया है।

(घ) यदि आसामी द्वारा उपधारा (2)(ग) के आधार पर भूमिधर से भूमि प्राप्त की हो तथा उक्त भूमि पर काश्त करनी असम्भव हो गयी हो।

(ड.) यदि भूमिधर धारा 82(क) के अनुसार निशक्तः हो तथा उसकी निशक्तता समाप्त हो गयाी हो।

(च) आसामी के विरूद्ध भू-राजस्व बकाया, वाद की अनिष्पादित डिक्री के निष्पादन के आधार पर,

(छ) यदि आसामी द्वारा शर्तो के विरूद्ध अपने हितों को अन्तरित कर दिया हो।

109. बेदखली के समय आसामी के अधिकार:

(1) यदि किसी आसामी को इस अधिनियम में दिये प्राविधानुसार बेदखल किया जाता है तो उक्त आसामी को सम्बन्धित भूमि में लगी फसल, पेड़ तथा भवन का मलवा (जो उसके द्वारा तद्समय निर्मित किया गया हो), को हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।

(2) भूमिधर द्वारा आसामी की बेदखली के पश्चात् भी उसके द्वारा देय लगान उससे वसूली हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है।

110. अनाधिकृत अध्यासी की बेदखली:

(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भूमिधर या आसामी के जोत की भूमि पर इस अधिनियम में दिये गये प्राविधानों से अलग कब्जा कर लेता है तथा

(क) उसके द्वारा किया गया कब्जा प्रभावित भूमिधर या आसामी की सहमति से नहीं किया गया है।

(ख) यदि उक्त भूमि भूमिधर अथवा आसामी के स्वामित्व से पृथक की भूमि है तो ग्राम सभा की सहमति के बिना किया गया है, तो

(अ) उपधारा (1)(क) के आधार पर प्रभावित भूमिधर अथवा आसामी द्वारा

(ब) उपधारा (1)(ख) के आधार पर किया गया है तो ग्राम सभा द्वारा उक्त व्यक्ति के बेदखली हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार तथा ग्राम सभा को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जायेगा।

111. धारा 110 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत न करने का परिणाम: यदि कोई भूमिधर, आसामी अथवा ग्राम सभा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अनाधिकृत अध्यासी की बेदखली हेतु सक्षम न्यायालय

में वाद प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तथा यदि वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त डिक्री की प्राप्ति के पश्चात् समयावधि के अन्तर्गत उसके निष्पादन में असमर्थ रहते हैं, उक्त अनाधिकृत अध्यासी

(क) संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर की जोत का अनाधिकृत अध्यासी उक्त भूमि का मूल स्वामी के स्थान पर संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो जायेगा तथा उस पर यदि कोई आसामी हो तो उसके अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(ख) यदि भूमि असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर के जोत की भूमि है तो वह उक्त भूमि के मूलस्वामी के स्थान पर असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो जायेगा तथा ऐसी अवस्था में उक्त भूमि पर यदि कोई आसामी होगा तो उसके अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।

(ग) यदि भूमि ग्राम सभा की तरफ से आसामी की जोत का भाग तो वह उस आसामी के स्थान पर उक्त जोत का वर्षानुवर्षी आधार पर आसामी हो जायेगा। परंतुक उपरोक्त सभी प्राविधान आदिवासी अनुसूचित जनजाति के भूमिधर की जोत के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

112. अनुसूचित जनजाति की भूमि से अनाधिकृत अध्यासी की बेदखली:

(1) यदि कोई भूमि अनुसूचित जनजाति के खातेदार की भूमि पर अनुसूचित जनजाति से पृथक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से अध्यासन कर लेता है, तो उक्त प्रभावित खातेदार द्वारा प्रस्तुत वाद के आधार पर अथवा स्व-प्रेरणा से असिस्टैन्ट कलैक्टर द्वारा बेदखल किया जा सकेगा।

(2) उक्त बेदखल अनाधिकृत अध्यासी से खातेदार को क्षतिपूर्ति राशि भी दिलाये जायेगी।

(3) अनाधिकृत अध्यासी की बेदखली के उपरान्त उक्त भूमि का कब्जा भी मूल खातेदार को दिलाया जायेगा।

113. अवैध बेदखली का निदान:

(1) कोई आसामी जो

(क) अपने खातेदार अथवा खातेदार के अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बेदखली के वाद के आधार पर अथवा

(ख) खातेदार अथवा खातेदार के अधिकृत व्यक्ति द्वारा आसामी के रूप में उठाई गई भूमि के आसामी द्वारा प्रस्तुत वाद के आधार पर बेदखल किया गया है अथवा कब्जा करने रोका गया है, उक्त प्रकार से बेदखल करने वाले तथा कब्जा करने से रोकने वाले व्यक्ति के विरूद्ध।

(1) संबंधित भूमिधर कब्जा प्राप्त करने।

(2) अवैध बेदखली के विरूद्ध धारा 114 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर सकता है।

अध्याय-17

घोषणात्मक वाद तथा अंतरिम व्यादेश

114. खातेदार होने के संबंध में घोषणा:

(1) कोई भी व्यक्ति किसी भी खातेदार अथवा राज्य सरकार व ग्राम सभा के विरूद्ध पृथक अथवा संयुक्त रूप से उसके खाते का खातेदार होने की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में:- (क) भूमिधरी अधिकारो की घोषणा में राज्य सरकार तथा संबंधित ग्राम सभा को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जायेगा (ख) आसामी अधिकारों की घोषणा में संबंधित ग्राम सभा को आवश्यक पक्षकार बनाया जायेगा।

115. कतिपय अवस्थाओं में दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार:

(1) इस अधिनियम की धारा 110 (2) तथा धारा 114 (2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार को संबंधित वादों में आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया जाना अपेक्षित है, तथा इस प्रकार के वादों का श्रवणाधिकार असिंस्टेट कलक्टर महोदय प्रथम श्रेणी को प्राप्त है, जिसमें आवश्यक पक्षकार के रूप में राज्य सरकार की तरफ से जिला कलक्टर द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने के कारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर उच्च पदाधिकारी के विरूद्ध उससे निम्न पदाधिकारी द्वारा वाद का श्रवण किया जाना अपेक्षित न होने की दशा में निम्न परिस्थितियों के अनुसार:-

(क) यदि राज्य सरकार की तरफ से जिला कलक्टर द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं किया जाता है तो ऐसे वाद को असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा श्रवण योग्य माना जायेगा।

(ख) यदि जिला कलक्टर की राय में संबंधित वाद में राज्य का हित प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए प्रतिवाद किया जाना आवश्यक होता है तो असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा उक्त वाद के संबंध में अपने से उच्च अधिकारियों के विरूद्ध श्रवण हेतु अधिकारी न रह जाने के कारण उसके द्वारा अपने न्यायालय में वाद की कार्यवाही रोक दी जायेगी तथा इस संबंध में अपनी आख्या देने के उपरांत संबंधित पक्षकार को सक्षम दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर दिया जायेगा।

(ग) यह कि कोई भी वाद असिस्टेंट कलक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत किये बिना सीधे दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

(घ) परन्तु यदि कोई वाद किसी खातेदार के विरूद्ध योजित न करके सीधे राज्य सरकार के विरूद्ध योजित किया गया है, उसमें उपधारा (ग)का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे वाद सीधे दीवानी न्यायालय में ही प्ररस्तुत किये जायेंगें।

116. अंतरिम व्यादेश:

(1) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत वादों में यदि किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि:

(क) वाद में विवाद ग्रस्त भूमि के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुरूपयोग करेगा, उसे क्षति पहँुचायेगा, उसका भू-उपयोग बदलेगा, या उसका विक्रय कर देेगा।

(ख) प्रतिवादी, वादी को वाद में विवादित भूमि से बेकब्जा करने या संपत्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है या उसे क्षतिकारित करने हेतु उतारू होता है।

(2) तो वहाँ न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने हेतु

(क) वाद के निस्तारण तक उपधारा (1) (क) व (ख) के कार्याेंं को रोके जाने हेतु अंतरिम व्यादेश निर्गत करेगा।

(ख) पक्षकारों द्वारा यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु आदेश करेगा।

(ग) या विवादित भूमि किसी की देखरेख में सुपुर्द करेगा।

(3) उपधारा (2) (क) (ख) के अंतर्गत पारित आदेशों की अवज्ञा न्यायालय की अवमानना समझी जायेगी।

अध्याय-18

ग्रामीण आबादी (आवासीय क्षेत्र)

117. प्रसार: इस अध्याय का प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त आवासीय उपयोग हेतु कार्य में लिये जा रहे भू-भाग को ग्रामीण आबादी के रूप में समझा जायेगा।

118. परिभाषा: इस अध्याय के अनुसार

(अ) भू - स्वामी: ग्रामीण आबादी में स्थित भूमि का स्वामी समझा जायेगा।

(ब) भवन स्वामी: ग्रामीण आबादी में स्थित भवन का स्वामी, समझा जायेगा।

119. भवनों के संबंध में धारणा: ग्रामीण आबादी के स्थित सभी भवन यह समझे जायेंगें कि वह सभी ग्रामीण आबादी के भू-स्वामी की सहमति से निर्मित किये गये हैं।

120. भवन स्वामी के भवन प्रयोग:

(क) कच्चे निर्माण के स्थान पर पक्का निर्माण करा सकता है।

(ख) भवन का निर्माण वह पशुशाला तथा घरेलू उपयोगी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा अथवा घटाकर कर सकता है।

(ग) आवश्यकता तथा समयानुसार अपने आवासीय कच्चे व पक्के भवन में परिवर्तन कर सकता है।

121. ग्रामीण आबादी स्थित भवनों के स्वामित्व का प्रभावः

(क) ग्रामीण क्षेत्र के सार्वजनिक मार्ग सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि को छोड़कर भवन तथा उससे संलग्नक भाग भवन स्वामी के स्वामित्व में रहेगा।

(ख) सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्र भू-राजस्व मुक्त होगा।

(ग) इस क्षेत्र की भूमि व भवन के संबंध में इस अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगें।

अध्याय -19

भू-राजस्व-आरोपण तथा वसूली

122. भू-धारक धृत भूमि राजस्व देय योग्य होगी:

(1) सम्पूर्ण भूमि जो कि भूमिधर के स्वामित्व व अधिपत्य में, उसके संबंध में वह उसका भू-राजस्व राज्य सरकार को देने का उत्तरदायी है। परन्तु यदि राज्य सरकार द्वारा

अपेक्षित सूचना के माध्यम से यदि किसी भू-भाग को भू-राजस्व मुक्त कर दिया गया है तो वह राजस्व मुक्त समझा जायेगा।

(2) भू-राजस्व मुक्त भूमि का भू-राजस्व भी निर्धारित किया जायेगा चाहे वह उपधारा (1) के परन्तुक अनुसार मुक्त भी हो।

(3) भू-राजस्व अदा करने के उत्तरदायित्व की कोई समय सीमा नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) से (3) तक प्राविधानोे के होते हुए भी निम्न क्षेत्र भू-राजस्व से मुक्त समझे जायेंगें।

(क) निर्मित आवासीय भवन तथा उससे संबंधित संलग्नक भूमि।

(ख) खलिहान।

(ग) समाधिस्थल, शमशानघाट व कब्रिस्तान।

123. पुननिर्धारण तक पूववर्ती दर से भू-राजस्व देय:कृषि भूमि से संबंधित निर्धारित दिये भू-राजस्व का प्रत्येक भू स्वामी भू राजस्व प्रतिवर्ष के हिसाब से राज्य सरकार को देने का उत्तरदायी होगा।

124. भू-राजस्व पुननिर्धारण की राज्य सरकार की शक्ति:

(1) इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा किसी भी जिले या उसके किसी भाग में भू-राजस्व के पुननिर्धारण हेतु सूचना जारी की जा सकती है।

(2) उपधारा (1) के अनुसार भू-राजस्व निर्धारण हेतु राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रकाशित की जायेगी, तथा भू-राजस्व पुननिर्धारण की प्रक्रिया समाप्ति की सूचना भी प्रकाशित की जायेगी।

(3) जिस जिले या उसके भाग के संबंध में भू-राजस्व निर्धारण हेतु सूचना जारी की जायेगी वह जिला तथा उसके प्रभावित भाग में अध्याय 5 में वर्णित बन्दोबस्त प्रक्रिया के अनुसार भू-राजस्व बन्दोबस्त प्रक्रिया भी अपनायी जायेगी।

125. भू-राजस्व परिवर्तन अथवा परिवर्धन:

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व में भूमि की उत्पादकता के आधार पर कमी अथवा वृद्धि के आधार पर उसमें परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जा सकेगा।

126. भू-राजस्व की छूट:

इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी उपबंध होने के बाबजूद पूववर्ती अनुसार प्रत्येक ऐसे खातेदार को जिसकी जोत 1.26 है0 से कम हो। भू-राजस्व में छूट जारी रहेगी।

127. भू-राजस्व माफी या स्थगन:

राज्य सरकार कृषि व दैविक आपदा आदि से प्रभावित समय पर भू-राजस्व माफ कर सकती है अथवा यथोचित समय तक उसकी वसूली स्थगित भी कर सकते है।

128. भू-राजस्व स्थगन के परिणाम:

जहाँ भू-राजस्व धारा 127 के अन्र्तगत माफ या स्थगित किया जाय वहाँ स्थगन

(1) भू-राजस्व स्थगन की अवधि के अन्तर्गत वसूली के समय की गणना तत्सम्बन्धी वाद प्रस्तुत करने की अवस्था में वसूली की गणना में परित्यक्त मानी जायेगी।

(2) भू-राजस्व स्थगन की अवधि के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की वसूली हेतु कोई वाद किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहींे किया जा सकेगा।

129. भू-राजस्व की धनराशि के पूर्णीकृत के सम्बन्ध मे:

भू-राजस्व की राशि यदि देय भू-राजस्व में 50 पैसे से अधिक हैं तो उसे पूर्ण रूपया तथा उससे कम हैं उसे अदेय समझा जायेगा।

130. आदेशांे का अन्तिम होना:

धारा 124 से 128 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम समझा जायेगा उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

131. भू-राजस्व प्रथम प्रभार माना जायेगा:

(1) किसी भू-भाग का निर्धारित भू-राजस्व ऐसे भू-भाग और उस पर स्थित वृक्षो, भवनो से प्राप्त लाभ व उपज पर भी प्रथम प्रभार होगा।

(2) किसी भी भू-राजस्व वसूली किसी अन्य धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरूद्ध समस्त दावों पर वरीयता प्राप्त होगी।

132. भू-राजस्व की वसूली का प्रबन्ध:

(1) भू-राजस्व की वसूली के लिए राज्य सरकार ऐसा प्रबंध कर सकती है और ऐसे साधनों का उपयोग कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

133. तहसील द्वारा प्रमाणित हिसाब के लेखे की कुछ बातों का निश्चयात्मक प्रमाण होना:

तहसील द्वारा प्रमाणित हिसाब का लेखा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भू-राजस्व के बाकी होने का, उसकी मात्रा का और ऐसे व्यक्ति की, जो काश्तकार हो काश्तकारी के निश्चयात्मक प्रमाण होगा।

134.भू-राजस्व बकाया वसूली की रीति:

(1) भू-राजस्व की बकाया निम्नलिखित रीतियों में से एक या अधिक रीति से वसूल की जा सकेगी।

(क) बाकीदार पर मांग पत्र या उपस्थिति पत्र तामील करके।

(ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी या निरोध से।

(ग) उसकी चल संपत्ति की, जिसके अंतर्गत उपज भी है, कुर्की और नीलाम से।

(घ) उस खाते की कुर्की जिसके संबंध में बकाया है।

(ड.) उस खाते का विक्रय या पट्टा करके जिसके संबंध में बकाया हो।

(च) बाकीदार की दूसरी अचल संपत्ति के कुर्की तथा नीलाम से।

(छ) बाकीदार की चल या अचल संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त करके।

(2) उपधारा (1) में उल्लखित रितियों में से किसी का व्यय भू-राजस्व में जोड दिया जायेगा और भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य होगा।

135. मांग पत्र और उपस्थिति पत्र:

(1) भू-राजस्व की बकाया के देय होते ही तहसीलदार मांग पत्र जारी करके बाकीदार को आदेश दे सकते हैं कि वह निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर बकाया देदे।

(2) मांग पत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर तहसीलदार निर्दिष्ट किये जाने वाली तिथि पर उपस्थित होने और देय बकाया को जमा करने के लिए बाकीदार के विरूद्ध उपस्थिति पत्र जारी कर सकता है।

136. गिरफ्तारी और निरोधन:

कोई भी भू-राजस्व का बाकीदार गिरफ्तार किया जाकर ऐसी अवधि के लिए 15 दिवस से अधिक न हो, निरोधन में रखा जा सकता है। जब तक कि वह बकाया गिरफ्तारी और निरोधन के व्यय समेत यदि कोई हो, जो धारा 134 की उपधारा (2) समेत उक्त अवधि से पूर्व ही न दे दें।

137. चल संपत्ति की कुर्की का नीलाम:

(1) बाकीदार चाहे गिरफ्तार हुआ हो या नहीं, कलक्टर उसकी चल संपत्ति को कुर्क व निलाम कर सकते हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक कुर्की व नीलाम, सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान होगी।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 (1) के प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद के खंड (क) से (ण) तक में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं भी, जो केवल धार्मिक उपासना के लिए अलग कर दी गई हो। इस धारा के अधीन कुर्की और नीलाम से मुक्त होगी। परन्तु इस धारा की कार्यवाही से पूर्व बकायादार को तदसंबंधी नोटिस देना आवश्यक है।

138. खाते की कुर्की, पट्टा और विक्रय:

(1) कलक्टर उपर्युक्त निर्धारित किसी रीती के साथ या उसके बदले में किसी खाते को देय भू-राजस्व बकाया के संबंध में कुर्क कर सकता है।

(2) यदि कोई खाता इस प्रकार कुर्क कर लिया गया हो तो कलक्टर इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी एसी शर्तों के अंतर्गत जैसा कि विदित हो, खाते को अगली जुलाई के प्रथम दिवस से दस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए बाकीदार के अतिरिक्त ऐसी किसी व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे उठा देगा जो खाते पर

देय सम्पूर्ण बकाया को अदा कर दे, और इस बात से सहमत हो कि वह पट्टे की अवधि में उस भू-राजस्व का भुगतान करता रहेगा जो कुर्की के तत्काल पूर्व के संबंध में बाकीदार द्वारा भुगतान किया जा रहा था।

(3) पट्टे की कालावधि में यदि पट्टेदार पट्टे के अंतर्गत देय भू-राजस्व के भुगतान में चूक करता है तो उसे बकाया वसूली धारा 134 की उपधारा (1) में खंड (क) से (ग), (च) और (छ) में उल्लखित रीतियों मेंे से एक या अधिक रीतियों द्वारा की जा सकेगी और उसका पट्टा भी समाप्त किये जाने योग्य होगा।

(4) पट्टे की अवधि समाप्ती पर खाता से वांछित खातेदार को उस खाते के संबंधो में भू-राजस्व की किसी बकाया के लिए राज्य सरकार की ओर से दावा मुक्त होकर वापिस हो जायेगा।

(5) यदि कलक्टर को इस बात से संतोष हो जाये कि उपधारा (2) के अंतर्गत पट्टा लेने के लिए उचित व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो वह इस अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए खाते की भूमि को भारों से मुक्त रूप से ऐसी रीती से विक्रय कर देगा जैसा कि निर्धारित किया जाय और प्राप्त आय से बकाया का भुगतान कर देगा और यदि ऐसी कोई रकम शेष बचती हो तो उसे बाकीदार को वापिस कर देगा।

(6) कलक्टर द्वारा उपधारा (5) के अंतर्गत की गई कार्यवाही की मुख्य राजस्व आयुक्त को सूचना देगा।

139.कुर्क भूमि पर बिना आगम व स्वत्व के अध्यासियों की बेदखली:

इस अधिनियम के निर्देशों से अन्यथा यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अन्तर्गत कुर्क भूमि का कब्जा ग्रहण करता है या बनाये रखता है तो पट्टेदार या क्रेता के वाद

पर वह बेदखल किये जाने योग्य होगा और वह क्षतिपूर्ति भी देने का उत्तरदायी होगा।

140. अन्य अचल सम्पत्ति में वाकीदार के स्वत्व के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार:

(1) यदि भू-राजस्व की कोई बकाया धारा 134 की उपधारा (क) से (ड.) तक में उल्लिखित किसी प्रकिया द्वारा वसूल न हो सके तो कलक्टर वाकीदार की किसी दूसरी अचल सम्पत्ति में वाकीदार के स्वत्व की कुर्की और विक्रय द्वारा बकाया वसूल कर सकता है।

(2) ऐसी राशि जो भू-राजस्व के रूप में वसूली जा सकती हो पर किसी विशेष के सम्बन्ध में देय न हो, इस धारा के अधीन वाकीदार की किसी भी अचल सम्पत्ति से जिसमें वह खाता भी शामिल है जिसका वह भूमिधर या आसामी है वसूल किया जा सकता है।

141. रिसीवर की नियुक्ति:

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जब भू-राजस्व की बकाया अथवा भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली जाने योग्य कोई अन्य धनराशि देय हो तो कलक्टर इससे पूर्व उल्लिखित किसी प्रक्रिया के साथ या उसके बदले में आदेश द्वारा

(क) वाकीदार की चल या अचल सम्पत्ति का रिसीवर ऐसी अवधि के लिए नियुक्त करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(ख) सम्पत्ति की अभिरक्षा या कब्जे से किसी भी व्यक्ति को हटा सकेगा।

(ग) उसे रिसीवर के कब्जे के लिए व प्रबन्ध तथा अभिरक्षा हेतु सुपुर्द कर सकता है।

(घ) रिसीवर को सम्पत्ति सम्बन्धी वाद में प्रतिवाद करने, उसका प्रबन्ध, बचाव, सुरक्षा, उन्नति करने, उसके भू-राजस्व तथा लाभ की वसूली करने, ऐसे भू-राजस्व और लाभ का प्रयोग करने तथा व्यय करने और अभिलेख का निष्पादन करने की वह सारी शक्तियां प्रदान कर सकता है जिसे स्वयं वाकीदार प्रयोग करता रहा है, या जिसे कलक्टर उचित समझे।

(2) इस धारा के अन्तर्गत कलक्टर ऐसा कोई अधिकार नही देगा कि सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से उस व्यक्ति को हटा दे जिसे वाकीदार को हटाने का अधिकार नहीं रहा हो।

(3) कलक्टर रिसीवर की अवधि का समय-समय पर विस्तार कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई आदेश वाकीदार को कारण बताने के नोटिस दिये बिना और ऐसे नोटिस के उत्तर में किसी प्रत्यावेदन पर जो कलक्टर को प्राप्त हो विचार किये बिना न दिया जायेगा। परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के

अन्तर्गत कोई अन्तरिम आदेश ऐसे नोटिस जारी किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय दिया जा सकता है तथा यदि नोटिस जारी किये जाने से पूर्व कोई अन्तरिम आदेश दिया जाय तो वह आदेश समाप्त हो जायेगा यदि उस अन्तरिम आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर नोटिस जारी न किया जाय।

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूचि में निहित आदेश 40 के नियम 2 से 4 तक के उपबन्ध इस धारा के अन्तर्गत नियुक्त रिसीवर के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्देश के लिए कलक्टर के लिए निर्देश का प्रतिस्थापन करके लागू होंगे।

142. धारा 132 के अन्तर्गत नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान न किये बकाया की वसूली:

यदि किसी भूमिधर अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने जो इस काम के लिए धारा 132 के अन्तर्गत नियुक्त हुआ हो, किसी खातेदार द्वारा देय मालगुजारी की बकाया अपने से दे दी हो, तो इस प्रकार दी हुई बकाया को उसके वास्तविक देनदार से वसूल करने के अन्य सम्भव विधिक उपायों के अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उक्त बकाया के भुगतान से 6 माह के अन्तर्गत कलक्टर को इस आशय का प्रार्थना पत्र दे कि ऐसी बकाया इस प्रकार वसूल करा दी जाय मानो वह सरकार को देय भू-राजस्व की ही बकाया हो।

ऐसा प्रार्थना पत्र पाने और इस बात का सन्तोष कर लेने वाद मांगी जाने वाली राशि प्रार्थी को देय है, कलक्टर उक्त खातेदार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो खाते के कब्जे में हो, व्यय और ब्याज सहित ऐसी धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-राजस्व की ही बकाया हो।

यदि ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में जिसकी वसूली हेतु इस धारा के अन्तर्गत कलक्टर ने आज्ञा दी हो, कोई वाद लाया जायेगा तो कलक्टर उसमें पक्षकार नहीं बनाया जायेगा।

इस धारा के अन्तर्गत कलक्टर द्वारा दी गयी किसी आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील न हो सकेगी, किन्तु ऐसी कोई आज्ञा, या उसमें कही गयी कोई बात भू-राजस्व की बकाया के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने में बाधक न होगी।

143. आपत्ति के अन्तर्गत भुगतान तथा वसूली हेतु वाद:

(1) इस अध्याय के अन्तर्गत जब कभी किसी व्यक्ति के विरूद्ध भू-राजस्व बकाया वसूली हेतु अथवा किसी धनराशि की वसूली के लिए जो भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य हो, की गयी हो, तो प्रभावित व्यक्ति ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारी को आपत्ति के अन्तर्गत वांछित धनराशि का भुगतान कर सकेगा और ऐसे भुगतान पर ऐसी कार्यवाही स्थगित कर दी जायेगी, जिस व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की गयी

थी, इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि के लिए दीवानी न्यायालय में राज्य सरकार के ऊपर वाद चलाया जा सकता है। ऐसे वाद में वादी धारा 133 में निहित किसी बात के लिए ऐसी धनराशि का साक्ष्य दे सकता है जो उससे देय अभिकथित है।

(2) इस धारा के अन्तर्गत कोई आपत्ति दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक सक्षम नहीं बनाती जब तक कि वह भुगतान के समय लिखित रूप में और उस व्यक्ति द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा जो इस निमित प्राधिकृत हो, हस्ताक्षरित न हो।

144. इस अधिनियम के आदेशों का उसके प्रारम्भ होने के समय देय बकाया पर लागू होना:

भू-राजस्व की बकाया की वसूली सम्बन्ध रखने वाले इस अधिनियम के निर्देश, इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय देय भू-राजस्व की सभी बकाया को तथा ऐसी राशि को, जो भू-राजस्व की बकाया के रूप में लागू किये जा सकते हो, लागू समझे जायेंगे।

145. कुर्क भूमि के लगान आदि अन्य देयों की अदायगी:

इस अध्याय के अन्तर्गत कुर्क हुई किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसी कुर्की के पश्चात् आसामी का कब्जा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा उस क्षेत्र के भू-राजस्व तथा अन्य देयों के निमित कलक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को की गयी अदायगी वैध भुगतान न होगी।

146. नियम बनाने का अधिकार:

इस अध्याय के निर्देशों के प्रयोजन हेतु उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सरकार नियम बना सकती है।

अध्याय 20

राजस्व न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया

147. राजस्व न्यायालय तथा दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार:

(1) किसी भी विधि में किसी भी बात के रहते हुए, लेकिन इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रवण योग्य सभी प्रकार के वाद जिनमें राज्य सरकार, राजस्व परिषद तथा कोई भी राजस्व न्यायालय तथा राजस्व अधिकारी निर्णय लेने में सक्षम तथा समर्थ है केवल धारा 43 तथा 115 में दिये प्राविधानों के अलावा दीवानी न्यायालय द्वारा इस प्रकार के वादों, प्रार्थना पत्रों या कार्यवाही पर कोई भी सुनवायी नहीं की जा सकेगी।

(2) धारा (1) में दिये प्राविधानों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले और अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के अन्तर्गत:

(क) द्वितीय अनुसूची में दिये गये किसी भी मामले में कोई अन्य न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा।

(ख) द्वितीय अनुसूची में स्तम्भ (2) में दिये गये किसी वाद अथवा प्रार्थना पत्र पर स्तम्भ (3) में दिये गये अधिकारी के अलावा किसी भी अन्य को श्रवण का अधिकार नहीं होगा।

(3) यह कि उपधारा 2(ख) में दी गयी न्यायालय की अधिकारिता सम्बन्धी विवाद को केवल मूल वाद के श्रवण करते समय ही उसके निस्तारण से पूर्व ही उठाया जा सकता है, किसी अपीलीय, पुननिरीक्षण या निष्पादन के समय नहीं उठाया जा सकता है।

148. अपील:

(1) द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में वर्णित वादों के निस्तारण के आधार पर प्रदत्त निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध वादकारी द्वारा निम्न अनुसार अपील प्रस्तुत की जायेगी।

(क) स्तम्भ (3) के अधिकारी के द्वारा पारित आदेश व निर्णय व डिक्री के विरूद्ध स्तम्भ (4) में दिये अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

(ख) स्तम्भ (4) की अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा पारित आदेश, निर्णय व डिक्री के विरूद्ध द्वितीय अपील स्तम्भ (5) में वर्णित अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) निम्न प्रकृति के आदेशों की भी प्रथम अपील होगी।

(क) दीवानी प्रकिया संहिता की धारा 47 तथा धारा 104 के अन्तर्गत पारित आदेश।

(ख) दीवानी प्रकिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43 नियम 1 के विरूद्ध।

(3) इस धारा के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाली प्रथम अपील की अवधि 30 दिवस तथा द्वितीय अपील की अवधि 90 दिवस की होगी।

149. जिन अवस्थाओं में पारित निर्णयों व आदेशों के विरूद्ध अपील अनुज्ञात नहीं होगी:

(क) अध्याय 4 की धारा (24) व (25) के विरूद्ध।

(ख) अवधि अधिनियम की धारा (5) के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा के लिए किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार व अस्वीकार करना।

(ग) पुनरीक्षण हेतु दिये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करना।

(घ) स्थगन आदेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना।

(ड.) किसी अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले को प्रति प्रेषित करना।

(च) अन्तरिम प्रकृति के आदेश के विरूद्ध।

(छ) जिन वादों में द्वितीय अनुसूचि के अनुसार अपील अनुज्ञात न हो।

150. पुनरीक्षण:

(1) परिषद, या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश या की गयी कार्यवाही की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से उनके द्वारा निर्णित किसी ऐसे मामले या ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है जिसमें कोई अपील न होती हो, या अपील होती हो, किन्तु न की गयी हो और यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय ने

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो उसमें निहित है, या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अन्तर्गत कोई आवेदन या तो परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया है, तो उसी व्यक्ति का कोई और आवेदन उपरोक्त में से किसी अन्य के द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

151. मध्यस्थता हेतु भेजा जाना:

(1) परिषद, आुयक्त, अपर आयुक्त, कलक्टर, अभिलेख अधिकारी बन्दोबस्त अधिकारी पक्षकारों की सहमति से किसी भी मामले को मध्यस्थता हेतु प्रेषित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्यस्थता हेतु प्रेषित सभी मामलों में मध्यस्थता अधिनियम के सभी प्राविधान लागू होंगे।

152. वाद को अन्तरित करने के अधिकार:

(1) परिषद, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलक्टर, अभिलेख अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में लम्बित वाद के सम्बन्ध किसी भी पक्षकार द्वारा सम्बन्धित न्यायालय से किसी अन्य समान अधिकारिता वाले न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो,

(क) अधीनस्थ न्यायालय से मूलवाद की पत्रावली मंगवाकर शिकायत की सत्यता पाने पर उक्त न्यायालय से अन्य समान अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष सुनवायी हेतु प्रेषित कर सकता है।

(ख) स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र की शिकायत को यथेष्ठ आधार का न पाने की अवस्था में उसे निरस्त कर सकता है।

(2) कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को स्पष्टीकरण का अवसर देना आवश्यक होगा।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

153. परिसीमा अधिनियम 1963 तथा दीवानी प्रक्रिया संहिता का लागू होना:

इस अधिनियम द्वारा या अधीन अन्यथा जब तक अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो तब तक इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक वाद, प्रार्थना पत्र याकार्यवाही पर दीवानी प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

154. प्रक्रिया अनियमितता के कारण आदेश अमान्य नहीं होंेंगें: किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश,अपील या अन्य कार्यवाही के समय, सम्मन, नोटिस, घोषणा या वारंट या आदेश या कार्यवाहियों के किसी त्रुटि लोप या अनियमितता मात्र के कारण किसी प्रकार का विपरीत अर्थ नहीं लगाया जायेगा जब तक कि उक्त त्रुटि, अनियमितता, लोप के कारण वास्तव में न्याय न हुआ हो।

155. राजस्व न्यायालयों कों किसी भी विनियमन की विधि मान्यता न्याय निर्णित करने की शक्ति नहीं होगी: इस अधिनियम के उपबंधों के किसी भी बात के होते हुए परिषद या किसी भी अन्य राजस्व न्यायालय को ऐसे मामले के संबंध में इस अधिनियम का उस समय लागू, किसी अन्य विधि के उपबंधों या किसी नियम के

अंतर्गत निर्मित अथवा निर्गत अधिसूचना की विधि मान्यता का प्रश्न हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।

156. सद्भावनापूर्वक राजस्व अधिकारी के कार्य कि विरूद्ध किसी कार्यवाही का सक्षम न होना:

(1) राज्य सरकार का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये सद्भावनापूर्वक कार्यवाही के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा उसके विरूद्ध दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालय किसी मे,ं किसी प्रकार की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जा सकेगी।

(2) राज्य सरकार के विरूद्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के फलस्वरूप हुई क्षति के सम्बन्ध में यदि वह सद्भावना पूर्वक राज्य सरकार के अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा की गयी है, के विरूद्ध कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जा सकेगी।

अध्याय 21
शास्तियाँ

157. अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति:

(1) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो

(क) गांव के सार्वजनिक मार्ग (चकरोड़ सहित) पर अतिक्रमण करता है अथवा व्यवधान उत्पन्न करता हो

(ख) उपजिलाधिकारी द्वारा धारा 38 के अधीन किये गये किसी आदेश या निर्देश का पालन नहीं करता है।

(ग) तहसीलदार द्वारा धारा 40 या 41 के अंतर्गत किये गये किसी आदेश या निर्देश के पालन में विफल रहता है।

(घ) धारा 30 (क) के अंतर्गत किये गये आदेश के पालन में अक्षम रहता है।जुर्माना देने का उत्तरदायी होगा जो कि अधिकतम 5000/- (पांच हजार रूपये) तक का होगा।

(2) उपधारा (1) में दिये गये प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों से उपजिलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा यथास्थिति अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति से जुर्माने के अलावा विफलता की पुनरावृत्ति न किये जाने के संबंध में बंध पत्र भी ले सकता हैै।

158. अवैध रूप से वृक्षों के पातन में:(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ग्राम समाज की संपत्ति के अंतर्गत स्थित वृक्षों का अवैध रूप से पातन करेगा अथवा प्रयोग करेगा। उसके विरूद्ध ग्राम समाज की सूचना पर उप जिलाधिकारी द्वारा उसेे दंडित कराये जाने के साथ-साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा।

(2) अवैध पातन द्वारा काटे गये वृक्षों को अपने अथवा किसी के भी अभिरक्षण में रखे जाने हेतु आदेशित कर सकेगा।

159. अपेक्षित विवरण अथवा सूचना न देने पर शास्ती:

प्रत्येक व्यक्ति जो:

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत विधीपूर्ण रूप से अपेक्षित कोई विवरण या सूचना देने में विफल रहता है।

(ख) कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रस्तुत करता है जिसके संबंध मेें उसे भी ज्ञात है कि वह मिथ्या है।

(ग) कलक्टर या स्थानीय प्राधिकारी या ग्राम सभा को किसी भूमि का कब्जा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है।

(घ) किसी अधिकारी या लोकसेवक को अपने निर्दिष्ट कार्यों के संपादन में कत्र्तव्यों के निष्पादन हेतु किसी कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है। दोष सिद्धि पर जुर्माने जो कि अधिकतम 5000/-रूपये (पांच हजार रूपये) तथा कारावास जो कि अधिकतम दो वर्ष तक हो सकती है। से दंडित किया जा सकता है।

160. जुर्माना आदि वसूली की रीति:

इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधी के अंतर्गत राज्य सरकार,ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय या उनके द्वारा वूसली योग्य फीस

जुर्माना, क्षतिपूर्ति दंड के स्वरूप, देय राशि, मुआवजा आदि की वसूली बिना किसी अन्य प्रतिकूल प्रभाव के वांछित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

अध्याय -22
प्रकीर्ण

161. विवरण मंगाने की शक्ति:

(1) यदि कोई राजस्व अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु यह आवश्क समझे कि किसी भूमिधर या भूमि के कब्जेदार व्यक्ति से ऐसे समय जैसा कि नियत किया जाय, उसके तथा उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा अध्यासित या धारित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का विवरण मांग सकता है।

(2) भूमिधर या उपधारा (1) में वर्णित व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्तियों जों भूमि में अप्रकट रूप से हित रखता हो नाम व पता प्रकट करने हेतु कह सकता है।

162. भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति:

इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कोई अधिकारी प्रतिबंधों और शर्तों जैसी नियत किये जांच के अंतर्गत रहते हुए ऐसे लोक सेवकों के साथ जिन्हें इस अधिनियम के अनुसार अपने कत्तव्यों के निष्पादन हेतु किसी भूमि में प्रवेश की प्राप्ति का अधिकार हो प्रवेश कर सकता है।

163. निरीक्षण करने की शक्ति:

इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सभी अभिलेख, विवरण और रजिस्टर नियमानुसार देय शुल्क के अदायगी पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जायेंगें तथा नियत शुल्क अदायगी उनकी सत्य प्रतिलिपि भी संबंधित अधिकारी के आदेश पर संबंधित कार्यालय द्वारा प्राप्प्त की जा सकेगी।

164. अधिनियम के उपबंधों से छूट की शक्ति:

राज्य सरकार अपने या केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत धारित किसी भी भूमि को इसके उपबंधों से छूट दिये जाने की अधिसूचना जारी कर सकती है।

165. प्रत्योजन:

राज्य सरकार अपने या परिषद के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त करने हेतु सक्षम कर सकती है।

166. कुछ धाराओं का स्थानीय निकाय आदि पर लागू न होना:

(1) इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट उपबन्धों के बावजूद भी स्थानीय निकाय के सम्बन्ध में अध्याय 8 की धारा 51 से 62 तथा अध्याय 14 की धारा 95 से 99 के उपबन्ध लागू नहीं समझे जायेंगे।

(2) स्थानीय निकाय उपरोक्त अध्यायों के अन्तर्गत दिये गये समकक्ष उन उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही करने में सक्षम होंगे जो सम्बन्धित निकायों की नियमावली तथा उपबन्धों के अन्तर्गत दिये गये हों।

अध्याय 23
निरसन व अपवाद

167. निरसन:

(1) प्रथम अनुसूची में वर्णित अधिनियम इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं,

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अधिनियम के निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(क) उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में ऐसे किसी अधिनियम के लागू रहने पर या

(ख) किसी अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूपेण की गयी या सहन की गयी किसी बात पर या

(ग) कोई अन्य अधिनियम जिसमें ऐसा अधिनियम उपयोजित, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया हो,

(घ) इससे पूर्व जो भी किये गये या सहन किये गये कार्य की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पहल से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, हक या बाध्यता या दायित्व जिसमें विशेष रूप से सभी परिसम्पत्तियों को राज्य में निहित करना, बिचैलियों के सभी अधिकार समाप्त करना, या इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही या किसी ऋण का या निर्मोचन या उन्मोचन शास्ति, बाध्यता, दायित्व अथवा दावा या मांग या इससे पूर्व स्वीकृत कोई क्षतिपूर्ति या विगत में किये गये किसी कार्य या वस्तु का साक्ष्य या।

(ड.) विधि का कोई सिद्धान्त, नियम या स्थापित, अधिकारिता अभिवचन, का रूप या माध्यम, प्रथा या प्रक्रिया या विद्यमान उपभोग, रूढ़ीगत विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति। परन्तु किसी ऐसे अधिनियमन के अधीन किसी कृत कार्य या कार्यवाही को जिसमें बनाया गया कोई नियम संग्रह निर्धारण, नियुक्तियों एवं अन्तरण सम्बन्धी जारी की गयी सभी सूचनायें, सम्मन, नोटिस वारन्ट और उद्घोषणा, प्रदत्त शक्ति, देय पट्टा, निर्मित सीमा चिन्ह, पूर्व निर्मित अधिकार अभिलेख और अन्य अभिलेख, अधिक अधिकार तथा दायित्व इसलिये हैं कि अधिनियम जहाँ तक वह

इसके अन्तर्गत न हो, इस अधिनियम के तद्नुसार उपबन्धो के अधीन कृत माफी या कार्यवाही समझा जायेगा और तद्नुसार प्रस्तुत करता रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही से अतिक्रमित न हो जाये।

168. विचाराधीन कार्यवाहियो पर अध्िनियम का लागू न होना:

(1) इसमें जैसा अन्यथा रूप से उपबन्धित हैं उसमें सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व राज्य सरकार या किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समस्त मामलो का चाहे यह अपील पुर्नरीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य रूप में हो, का विनिश्चय समुचित विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा जो कि उन पर लागू होते यदि यह अधिनियम पारित न हुआ हो,

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व दीवानी न्यायालय में विचाराधीन सभी मामलों का जिस पर इस अधिनियम के अधीन अनन्य रूप से किसी राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पूर्व प्रवृत्त विधि के अनुसार दीवानी न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

169. बाधायें दूर करने की शक्ति:

(1) राज्य सरकार, किसी बाधा को दूर करने के उद्देश्य से विशेष रूप से धारा 167 के अनुसार निरसित अधिनियमों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण से सम्बन्ध में, अधिसूचित आदेश द्वारा, निर्देशित कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि में, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, ऐसे अनुकूलनों (चाहे उपान्तरों परिवर्तनों या लोप के रूप में हो) के अधीन रहते हुए जिन्हें वह आवश्यक समझे तद्समय तक प्रभावी रहेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, दिये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

170. नियम बनाने की शक्ति:

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम हेतु तथा उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार समय-समय पर नियम बना सकती है।

171. विनियमावली बनाने की शक्ति:

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, परिषद, राज्य सरकार के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार विनियमावली बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त राजस्व न्यायालय नियमावली तथा भू लेख नियमावली तब तक प्रभावी रहेगी जब तक इस धारा के अंतर्गत बनाये गये विनियमों द्वारा उन्हें निरसित न कर दिया जाय।

प्रथम अनुसूची (धारा 2 तथा 167)

क्र0सं0	निरसित अधिनियमों के नाम
1.	उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1901
2.	उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939
3.	उत्तरांचल (उ0प्र0 जमीं0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001)
4.	जौनसार बाबर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम 1952
5.	कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) 1954
6.	जौनसार बाबर, परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958
7.	जौनसार बाबर जमीं0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956
8.	उ0प्र0 नगर क्षेत्र जमीं0वि0 और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956
9.	कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमीं0वि0 तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1960
10.	कुमायूं गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अधिनियम 1975
11.	उत्तरांचल (उ0प्र0 जमीं0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) संशोधन अधिनियम 2003
12.	उत्तरांचल (उ0प्र0 जमीं0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) संशोधन अधिनियम 2005 (उत्तरांचल अधिनियम सं0 25 सन् 2005)
13	उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमीं0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) संशोधन अध्यादेश-2007 (उत्तराखण्ड अध्यादेश सं0 1 सन् 2007)

द्वितीय अनुसूची (अध्याय 20, धारा 147 व 148)

धारा	कार्यवाही का विवरण	प्रथम अधिकारिता	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
1	2	3	4	5

24 (ग) नामान्तरण वाद उपजिलाधिकारी -

25 अधिकार अभिलेख त्रुटि में संशोधन उपजिलाधिकारी - -

31 (6) व (7) सर्वेक्षण प्रक्रिया जांच प्रक्रिया सहायक अभिलेख अधि0 सहायक बन्दोबस्त अधि0 बन्दोबस्त अधिकारी -

39 सीमा सम्बन्धी विवाद उपजिलाधिकारी आयुक्त -

49 धारा 46 व 47 के अन्तर्गत विवाद कलक्टर आयुक्त -

55 ग््राम सम्पत्ति का दुरूप्योग उपजिलाधिकारी कलक्टर -

85 अननुकूलन अन्तरण उपजिलाधिकारी/सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी आयुक्त

91 से 94 विभाजन सम्बन्धी वाद सहा0कलक्टर प्रथम श्रेणी आयुक्त परिषद

108, 110, 112 बेदखली वाद सहा0कलक्टर प्रथम श्रेणी आयुक्त परिषद

114 घोषणात्मक वाद तदैव तदैव तदैव

116 अन्तरिम व्यादेश तदैव तदैव तदैव

मैं यह नही कहता कि मेरा यह प्रयास सम्पूर्ण होगा, इसमें जो भी विसंगतियाँ या त्रुटियाँ हों उन्हे अलग अथवा सुधार करके उत्तराखंड के हित में इसे अपनाकर मेरा यह योगदान जनता व शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा।

रमेशदत्त उनियाल
एडवोकेट